स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–24, अंक–10
अश्विन–कार्तिक 2073, अक्टूबर 2016

संपादक
अजेय भारती

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज 39
कवर चतुर्थ पेज 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

मंच के नेतृत्व में गोल मेज सम्मेलनः

जीएम सरसों पर सरकार को चेतावनी

स्वदेशी संवाद

1 कवर पेज
2 कवर द्वितीय पेज

10 **आवरण कथा-2**
जीएम–सरसों की उत्पादकता मौजूदा किस्मों से कम, इसकी आवश्यकता क्यों?
..... डॉ. देविन्दर शर्मा

13 **अर्थनीति**
काला धनः कितना कालिमा रहित हुआ और कितने साधन जुटे?
..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

17 **अर्थनीति-2**
65,250 करोड रुपये का स्वदेशी काला धन
..... डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

20 **कृषि**
सही दिशा में बढ़ता कृषि उत्पादन
..... डॉ. अश्वनी महाजन

22 **मुद्दा**
इस्लामिक बैंक, क्यों और किसके लिए?
..... विक्रम उपाध्याय

25 **विचार**
सार्क के विकल्प
..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

27 **दर्शन**
वर्तमान समस्याओं में गांधी की प्रासंगिकता
..... मुनिशंकर

29 **पुण्य तिथि पर विशेष**
दत्तोपंत ठेंगड़ी – श्रमऋषि
..... डॉ. बलराम मिश्र

31 **जल**
परंपरागत सिंचाई के साधनों से क्यों विमुख हैं हम?
..... ज्ञानेन्द्र रावत

33 **व्हाटसएप**
जीवनोपयोगी बातें

पाठकनामा

हिन्दू पद्धति – दर्शन एवं संकल्पना

हिन्दू विधि अत्यंत प्राचीन परंपरा है। हिन्दू ऋषियों और मुनियों द्वारा लम्बी तपस्या और चिंतन के बाद आचरण के जो नियम प्राप्त हुए वे समाज के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हिन्दू–दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य इस भैतिक विश्व से मुक्ति अर्थात् मोक्ष प्राप्त करना है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन के चार लक्ष्य है– अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष। अर्थ एवं काम इस जगत से संबधित है जबकि धर्म और मोक्ष अगले जन्म से हैं। धर्म के अनुसार जीवन, इस जीवन को प्रसन्नता और आनन्द की ओर ले जाता है।

हिन्दू सामाजिक संरचना वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। शुक्र नीति के अनुसार गुण, कर्म तथा स्वभाव से श्रेणियों को विभाजन का नियम है। वैदिक काल में किसी व्यक्ति को अपनी वृति या कर्म को चुनने में नियंत्रण नही था। महाभारत के शांति पर्व में यह व्यवस्था की गई कि प्रतिकूल स्थिति अथवा विपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है अर्थात नियमों में बदलाव हो सकता है। किन्तु ब्राह्मणों पर अपवाद स्वरुप मांस, मदिरा आदि के व्यापार के लिए प्रतिबंध था।

पुरुषार्थ सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन को चार अवस्थाओं में बांटा गया– ब्रम्हचार्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ तथा संयास। प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित किया गया। ये चारों आश्रम भौतिक आनन्द तथा आध्यात्मिक शुद्धता दोनों की प्राप्ति के लिए आशायित है।

हिन्दू विधि (कानून) की उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति मानी जाती है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा हमारे ऋषियों, दार्शनिकों और विधिवेत्ताओं को प्रकट की गई है। जिन्होंने अपनी तपस्या और योग से आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त कर लिया था. हिन्दू विधि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अति पवित्र, अनतिक्रमणीय तथा अपरिवर्तनीय है। इसका उल्लंघन पाप समझा जाता है। चूंकि यह दैवी विधि है इसलिए किसी मानव द्वारा परिवर्तित नही की जा सकती। यह सभी समयों में प्रयोज्य है, शाश्वत है। इसकी वैद्यता को चुनौती नही दी जा सकती क्योंकि इसको सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। मृत्यु के पश्चात् बुरे परिणामों और कष्टों का भय हिन्दू विधि के पालन के पीछे मुख्य कारण था। प्राचीन काल के धर्मशास्त्रों के लेखकों ने सारे कार्यों को तीन शीर्षकों में विभाजित किया थाः– आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित।

राजीव मिश्र, *दिल्ली*

*****

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

ट्वीट्स

यह मेरा दढ़ विश्वास है कि जो लोग शांति और मानवता में विश्वास करते हैं, वे एक साथ खड़े होकर इस बुराई (आतंकवाद की) के खिलाफ काम करेंगे।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

जैसे किसान अपनी जान लगाकर अपने खेतों की रखवाली करता है, वैसे ही हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रखवाली करते हैं।

राजनाथ सिंह
गृहमंत्री

गंदगी से रोग पैदा होते है और स्वच्छता से आरोग्य मिलेगा। हमें महात्मा गांधी जी के सपनों का स्वच्छ व स्वदेशी भारत बनाना है।

बाबा रामदेव
योग गुरू

आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों स्वीकार्य नहीं है। हमारे पास सबूत है कि जीएम सरसों से बेहतर सरसों की दूसरी किस्में हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्व.जा.मंच

संपादकीय

जीएम सरसों पर जगे सरकार

सत्ता और सिद्धांत दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कुशल नेतृत्व इन दोनों में सामंजस्य बिठाकर देश, समाज और आम नागरिक की हितों की रक्षा करता है। मौजूदा केंद्र सरकार और उसके नेतृत्व से यही अपेक्षा पहले दिन से थी और अभी तक बनी हुई है। हां, कुछ मामलों में विश्वास जरूर डोला है। उसमें से जीन तकनीक से तैयार कुछ विदेशी कंपनियों की फसलों को भारत में लाने की तैयारी और सरकार की खामोशी एक विषय है। स्वदेशी जागरण मंच और विभिन्न विचार परिवार से जुड़े संगठनों का हमेशा से मानना है कि देश का विकास भारतीय संसाधनों, भारतीय पद्धतियों और पारंपरिक तरीकों से ही हो सकता है। क्योंकि हम यह मानते है और पीछे के अनुभवों से यह दावे से कह सकते है कि कोई भी विदेशी कंपनी पूंजी या तकनीक का प्रयोग हमारे हितों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लाभ के लिए ही करेगी। विदेशी कंपनियां केवल हमारे बाजार पर ही कब्जा जमाने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि उनका प्रयास इस बात पर ज्यादा है कि भारतीय पद्धति से चल रही अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज के बीच परस्पर सहयोग आधारित आजीविका व्यवस्था को तहस–नहस कर दिया जाए ताकि भारतीयों की निर्भरता हमेशा के लिए विदेशी कंपनियों पर बढ़ जाये। जीएम के मामले में भी विदेशी कंपनियों का यहीं प्रयास रहा है। पहले बीटी कपास के जरिये हमारी पारंपरिक कपास की खेती को नष्ट करवाया, अरबों रूपये की कपास बीज का अपना कारोबार फैलाया और अब जबकि बीटी कपास के कारण किसान कंगाली पर पहुंच गये, कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या करने लग गये, तब यही बीटी कपास बीज वाली बहुराष्ट्रीय कपंनियां बिना क्षतिपूर्ति दिए गायब होने लगी। उन्होंने पहले यही दावा किया था कि पारंपरिक कपास की खेती में कीट लगने के कारण कपास का उत्पादन बहुत कम होता है और बीटी कपास में कोई कीड़ा नहीं लगने के कारण इसकी उपज बहुत ज्यादा होती है। पहले कर्नाटक और अब पंजाब के किसान बीटी कपास से तौबा कर चुके हैं। बीच में बीटी बैंगन को लेकर विदेशी कंपनियों ने एक बड़ी मुहिम चलाई, यह तर्क दिया कि बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए पारंपरिक सब्जी की खेती पूरी नहीं पडेगी इसलिए सब्जी के रूप में बीटी बैंगन की खेती की जाए। अब कुछ महीनों या वर्षों से यहीं विदेशी कंपनियों की लॉबी इस प्रयास में लगी है कि देश में तिलहन की कमी का बहाना बनाकर बीटी सरसों को जल्दी से जल्दी बाजार में उतार दिया जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि विदेशी कंपनियों के कुछ भारतीय एजेंट इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां सरकार की भूमिका भी संदिग्ध लगती है। पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ी एक एजेंसी जीईएसी (जैनेटिक इंजीनियरिंग अप्रैजल कमेटी) अभी तक परदे के पीछे से जीएम सरसों के पक्ष में मुहिम चला रही थी। लेकिन कुछ दिनों से यहीं जीईएसी अब मुखर होकर यह दलील दे रही है कि देश में खाद्य तेलों का संकट खत्म करने के लिए जीएम सरसों से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। जीईएसी एक रिपोर्ट जारी कर यह भी दावा कर रही है कि जीएम सरसों पूरी तरह सुरक्षित एवं उपभोग योग्य है। कुछ लोग सार्वजनिक रूप से जीएम सरसों से बने तेल के नमूने भी बांट रहे हैं। बावजूद इसके पर्यावरण मंत्रालय यह दावा करता रहा है कि उसने अभी तक जीएम सरसों के व्यवसायिक उत्पादन की अनुमति नहीं दी है। स्वदेशी जागरण मंच को इस पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराता है। सरकार को भली भांति मालूम है कि ठोस परीक्षण के बिना सुप्रीम कोर्ट ने भी जीएम सरसों के परीक्षण एवं व्यवसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है। राज्यों ने भी जीएम सरसों के उत्पादन पर अपनी असहमति व्यक्त की है। फिर किस बूते विदेशी कंपनियां जीएम सरसों को लेकर तरह–तरह की अपवाहें फैला रही हैं। मंच ने हाल की में देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न संगठनों एवं मूर्धन्य विद्धानों के साथ मिलकर एक गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में आये सभी लोगों ने विदेशी कंपनियों के इस दावे को छलावा करार दिया कि जीएम सरसों से देश खाद्य तेल के मामले में आत्म निर्भर हो जायेगा। सभी विद्धानों ने आम सहमति बनाकर एक प्रस्ताव पारित किया कि वैज्ञानिक तथ्यों के विपरित स्वास्थ्य परीक्षणों के बिना और किसान हितों की अनदेखी कर जीएम सरसों को बाजार में उतारने की हर कोशिश का पूरजोर विरोध किया जायेगा और यदि सरकार तब भी न चेती तो देश में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जायेगा। मंच इस प्रस्ताव का खुला समर्थन करता है और आशा करता है कि सरकार तत्काल जीएम सरसों पर कोई स्पष्ट नीति देश के सामने रखेगी और भारत, भारतीयता और भारतीय पद्धति की रक्षा करेगी।

मंच के नेतृत्व में गोल मेज सम्मेलनः

जीएम सरसों पर सरकार को चेतावनी

स्वदेशी जागरण मंच ने जीएम सरसों से संबंधित मुद्दों पर 30 सितंबर 2016 को दिल्ली के कांस्टीटयूशन क्लब में एक गोल मेज सम्मेलन का सफल आयोजन किया। कई मायनों में यह एक खास गोल मेज सम्मेलन था, जिसमें जाने–माने विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, सामाजिक संगठनों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की विशेषता यह थी कि ये सभी संगठन अलग–अलग विचारधाराओं से होते हुए भी इस मुद्दे के दूरगामी परिणामों के प्रति एकमत ही नहीं थे, बल्कि इस मुददे पर सांझी और परिणामकारी लड़ाई लड़ने के प्रति भी प्रतिबद्ध थे। एक अन्य खास बात यह थी कि इस सम्मेलन में तीन फ्रांसिसी विशेषज्ञ भी शामिल हुए, जिसमें एक प्रो. एरीक सेरेलिनी भी थे, जो जीएम उत्पादों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों पर अपने शोध के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं।

श्री अजेय भारती ने अतिथियों के साथ स्वदेशी जागरण मंच से श्री कश्मीरी लाल और डॉ. अश्वनी महाजन को भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करने हेतु आमंत्रित करते हुए सम्मेलन की शुरूआत की और आगे की कार्यवाही के लिए डॉ. अश्वनी महाजन को मंच पर आमंत्रित किया।

डॉ. अश्वनी महाजन ने अतिथियों और विषयों का परिचय कराते हुए कुछ तीखे प्रश्न किए कि आखिरकार जीएम सरसों की जरूरत की क्या है? उन्होंने इसके साथ–साथ जैव विविधिता, जोखिम मूल्यांकन, रोजगार और स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे विषयों को भी चर्चा में लाकर गोल मेज सम्मेलन के लिए विषय वस्तु प्रस्तुत की। उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि उनके द्वारा जारी रिपोर्ट में जीएम प्रौद्योगिकी को एक विवादास्पद प्रौद्योगिकी कहा गया है।

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् **डॉ. वंदना शिवा** ने राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के समय से ही स्वदेशी जागरण मंच के साथ अपने संबंधों को याद किया और कहा कि यह गोल मेज सम्मेलन 'अंतरात्मा की आवाज का सम्मेलन' है। उन्होंने कहा कि यह उसी प्रकार का सम्मेलन है जैसे निकोलस हुलट ने 2015 में किया था, जिसका आगाज फ्रांसिसी राष्ट्रपति फ्रेनकोयज होलेंड ने किया था। उन्होंने कहा कि आज इस सम्मेलन में आये सभी लोग बेयर और मोंसेंटों जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आक्रमण के खिलाफ इक्कठा हुए हैं ताकि दस हजार साल से ज्यादा पुरानी हमारी कृषि पर उनके कब्जे को रोका जा सके। यह हमारी सभ्यता

गोल मेज सम्मेलन का सर्वसम्मत घोषणा पत्र

आज 30 सितंबर 2016 को दिल्ली के कांस्टीटयूशन क्लब में जीएम सरसों के संबंध में 'गोल मेज सम्मेलन' के अवसर पर एकत्र हम सभी वैज्ञानिक, किसान एवं सामाजिक संगठन भारत सरकार द्वारा जीएम सरसों के व्यवसायिक उत्पादन के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु जारी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में गहन और खुली चर्चा के बाद यह घोषणा करते हैं कि –

1. भारत सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेज़ल कमेटी (जीईएसी) द्वारा जारी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में जीएम समर्थक कंपनियों की भाषा और कुतर्कों का ही उपयोग किया गया है। यह भारत के गरीब किसानों पर अवैज्ञानिक, गैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक तरीके से जबरदस्ती जीएम सरसों थोपने का प्रयास ही कहा जा सकता है।
2. इस सम्मेलन का यह मत है कि इस अवैज्ञानिक और आधी–अधूरी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट जारी कर और उसके संबंध में आम जनता से मात्र एक महीने में ही अपनी राय देने का अल्प समय देकर जीईएसी एग्रीबिजनेस और बायोटिक कंपनियों के हित साधने का काम कर रही है और इस कारण हम सभी संगठन और स्वतंत्र वैज्ञानिक सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसान की संप्रभुत्ता की सुरक्षा के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।
3. यह सम्मेलन रेखांकित करता है कि जैव विविधता, पर्यावरण और भूमि की सुरक्षा से ही मानवता की सुरक्षा हो सकती है, और इसके लिए जरूरी है कि बीज स्वतंत्रता पर कोई अंकुश न हो। जीएम/बीटी बीजों के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां पेटेंट के द्वारा हमारी बीज स्वतंत्रता नष्ट कर रही हैं। यह न केवल किसानों को स्थाई रूप से कंपनियों पर निर्भर कर रहा है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और आमजन की खाद्य सुरक्षा को भी नष्ट कर रहा है। हमारी जैव विविधता, जीवों, वनस्पति और भारत के स्वराज की रक्षा तभी हो सकती है जब किसान के पास बीज की स्वतंत्रता हो।
4. इस सम्मेलन का यह स्पष्ट मत है कि एग्रीबिजनेस और बायोटेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा यह झूठ फैलाया जा रहा है कि जीएम फसलों द्वारा हम पर्यावरण संकटों के कारण कृषि पर आ रहे खतरों और भूख से निजात पा सकते हैं। सत्य यह है कि जीएम फसलों के दुष्प्रभावों के चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, पर्यावरण और वनस्पतियों पर संकट बढ़ रहा है और हमारी जैव विविधता खतरे में है। यही नहीं भारत में बीटी कपास के कारण किसानों पर बढ़ते कर्ज और लाखों किसानों की आत्महत्या से यह स्पष्ट हो गया है कि जीएम खेती हमारे देश के किसानों के लिए हानिकारक है।
5. यह सम्मेलन यह भी मांग करता है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले जीएम सरसों समेत समस्त जीएम प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कराया जाए। उनके सामाजिक, आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन हो और इसके बाद सभी दस्तावेजों को जनता के समक्ष रखा जाए।
6. यह सम्मेलन यह रेखांकित करना चाहता है कि यदि हमारे देश में खाद्य फसलों में जीएम का प्रयोग शुरू हुआ तो हमारे देश से खाद्य वस्तुओं के निर्यात को भारी नुकसान होगा, क्योंकि विश्व में कई देशों, विशेषतौर पर यूरोपीय देशों में जीएम के आयात और उपभोग पर प्रतिबंध है। यह सम्मेलन मधुमक्खी पालकों किसानों, आयुर्वेदाचार्यो और भारतवासियों की इस मांग का पुरजोर समर्थन करता है कि उनके रोजगार और देश से कृषि संबंधित निर्यात की सुरक्षा हेतु जीएम सरसों की अनुमति की प्रक्रिया को विराम लगाया जाए।
7. सम्मेलन का यह भी मानना है कि मुक्त व्यापार की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, जो बड़ी कंपनियों और उनके बौद्धिक अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर, आम जन के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह सम्मेलन मांग करता है कि ऐसे समझौतों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए।
8. इस सम्मेलन की यह भी मांग है कि कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण और अन्य अत्याचारों के लिए दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे किसानों के नुकसान की भरपाई करें।
9. यह सम्मेलन मांग करता है कि कृषि में विदेशी कंपनी राज समाप्त हो और सरकार स्वयं के प्रयासों से स्वदेशी कृषि के विकास में सहायक हो; एक ऐसी कृषि जिसमें किसान को अच्छे बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध हों, जहां किसान का शोषण न हो और जैव विविधता का सम्मान हो।
10. स्वदेशी हमारा राष्ट्र धर्म है और इस धर्म का पालन करते हुए हम प्रण लेते हैं कि हम अपने वसुधेव कुटुंबकम यानि पूरी वसुधा रूपी परिवार की रक्षा करेंगे।
11. हम प्रण लेते हैं कि हम भारत को विदेशी जहर बनाने वाली कंपनियों के विषों से अपनी कृषि और समाज को मुक्त करेंगे।

को बचाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर आरोप लगाया कि वे दुनिया भर में झूठ के आधार पर अपने लाभ बढ़ाने के लिए जहर बेचने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने बेयर और सिंजेटा जैसी कंपनियों को कातिल करार देते हुए यह बताया कि किस प्रकार जैनेटिक प्रौद्योगिकी बीजों के पेटेंट से संबंधित है और किस प्रकार से अत्यंत कठिनाई से बने भारत के पेटेंट कानूनों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने जीएम सरसों को गैर कानूनी बताया और यह कहा कि किस प्रकार से इसमें कानूनों को उल्लंघन हो रहा है और यह बताया कि जीएम सरसों को विकसित करने का दावा करने वाले वैज्ञानिकों ने छल किये हैं।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी (प्रमुख निदेशक, रिसर्च एंड इंफोरमेशन सिस्टम, भारत सरकार) ने

अपने संक्षिप्त उद्‌बोधन में प्रतिभागियों को अपने संस्थान द्वारा जीएम प्रौद्योगिकी के सामाजिक, आर्थिक प्रभावों के अध्ययन हेतु बनायी गई कार्य पद्धति के बारे में जानकारी दी। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि बीटी बैंगन के मुकदमे में सुनवाई के बाद सरकार को यह महसूस हुआ कि जीएम खाद्य फसलों के प्रभाव पर अध्ययन होना जरूरी है। इसके बाद सरकार ने आर.आई.एस. से संपर्क किया और 6 संस्थाओं से प्रतिनिधि को लेकर एक ग्रुप का गठन हुआ ताकि इस प्रकार के अध्ययन के लिए ढांचा और कार्य पद्धति तैयार हो। उन्होंने बताया कि अभी तक इस संबंध में 250 अध्ययनों में से 200 कंपनियों द्वारा प्रायोजित अध्ययन है। बहुत कम अध्ययनों को स्वतंत्र रूप से पोषित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 58 मानकों को तैयार किया गया है, जिसके अनुसार जीएम फसलों के आर्थिक, सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि इस प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन और मूल्यांकन के बारे में स्थाई व्यवस्था का निर्माण हो। डॉ. सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि जीएम पर बहस बहुत पुरानी है और हम अब जीएम उपरांत बहस में शामिल हो गये हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी मामलों में आर्थिक, सामाजिक मूल्यांकन की जरूरत है।

निकोलस हुलट (फ्रांसिसी पत्रकार, लेखक एवं पर्यावरणविद्) ने जीएम फसलों के आपत्तिजनक प्रभावों के संबंध में इस फसलों के बारे में एहतियात बरतने की सलाह दी। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार जीएम के दुष्प्रभावों के बारे में पता लगने में 25 साल या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए 25 साल का इंतजार करने की बजाए बेहतर यह है कि एहतियात बरतना जरूरी है। हुलट ने जोर देकर कहा कि उनके अपने अनुभव के आधार पर वे कह सकते हैं कि जीएम का उपयोग किसानों के लिए अहितकारी है। उन्होंने यह कहा कि यह प्रौद्योगिकी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का वीभत्स चेहरा है। हुलट ने जीएम के खिलाफ लड़ाई को मानवता के लिए लड़ाई के रूप में परिभाषित करते हुए यह कहा कि यह लड़ाई कमजोर और मजबूत के बीच लड़ाई है। पर्यावरण खेती ही सही रास्ता है, खासतौर पर उन गरीब किसानों के लिए जिनकी जिंदगी शोचनीय बन गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जबकि 20वीं सदी घमंड और महत्वाकांक्षा की रही, 21वीं सदी मानवता की सदी होगी।

डॉ. एरिक सेरेलिनी (फ्रांसिसी, मोलिकुलर वैज्ञानिक) ने सरकार से यह मांग की कि जीएम सरसों के बारे में समस्त वैज्ञानिक आंकड़ों को जनता के सामने लाया जाए। उन्होंने रेखांकित किया कि जीएम फसलों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं इसलिए 3 महीने का अध्ययन काफी नहीं है। भारत की सभ्यता और धर्म एवं आधुनिक विज्ञान दोनों में सच्चाई और पादर्शिता को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए सभी के हित में है कि सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए।

उन्होंने कहा, 'मैं अचंभित हूं कि वे जीएम सरसों को व्यवसायिक करने जा रहे है और किसी ने विश्वविद्यालय से रक्त विश्लेषण या आहार अध्ययन के बारे में पूछा नहीं। जीएम फसलें और खरपतवार नाशकों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं और 3 महीने का अध्ययन इस संबंध में पर्याप्त नहीं है। मैं भारतवासियों से मजबूती से यह कहना चाहता हूं कि वे विज्ञानपरक बनें और सभी वैज्ञानिक आंकड़ों को जनता के समक्ष लाने के लिए कहें।'

उन्होंने पूछा कि आज जब हमारे पास दूसरे विकल्प मौजूद है तो जीएम फसलों की जरूरत क्या है? उन्होंने ग्लाईफोसेट आधारित राउंड–अप (खरपतवार नाशक) की जहरीली और केंसर जनक विशेषताओं के संबंध में अपने अध्ययन को उद्धरित करते हुए यह दिखाया कि विज्ञान के इतिहास में किस प्रकार जैनेटिक इंजीनियरिंग हमारे खाद्य आपूर्ति के संबंध में एक धोखा है और कुछ अग्रणी वैज्ञानिक संस्थान जीएमओ के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे यह जोड़ते हुए कहा कि वे फसलें जिनको जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके संबंध में भी अध्ययन होना चाहिए।

जीन अभियान की प्रमुख संवाहिका **सुमन सहाय** ने भी स्वदेशी जागरण मंच की इस बात के लिए तारीफ की कि मंच ने एक बेहद रोचक गोल मेज सम्मेलन आयोजित कर जीएम सरसों के खिलाफ सरकार के रवैये के विरोध का नेतृत्व किया। सुमन सहाय ने कहा कि मंच को इसके लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि उसकी ही विचारधारा की सरकार होने के बावजूद जनता के मुद्दे पर जीएम सरसों के मद्देनजर आलोचना में कोई कोताही नहीं बरती। विषय का प्रतिपादन करते हुए सुमन सहाय ने जीईएसी की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैसे इस देश के उपभोक्ता के अधिकार का हनन करते हुए जीएम तकनीक और जैव सुरक्षा नियमों की जांच जीईएसी कैसे कर सकती है। बिना किसी लेबल और जवाबदेही संबंधी कानूनी प्रावधान के कंपनियों द्वारा जीएम फसलों के विकास एवं विपणन की कार्यवाही की जवाबदेही कौन लेगा और कौन उनको दंड देगा?

गोल मेज सम्मेलन में **अरूणा रोडरीज** ने अपने संबोधन में एक सूचना के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि जीएम फसलों का फील्ड ट्रायल पूरी तरह से फ्रोड है। ना तो इन परीक्षणों के लिए पर्याप्त समय दिया गया और ना ही खास क्षेत्र का उपयोग ही किया गया। उन्होंने प्रो. पेंटल को धोखेबाज बताते हुए कहा कि प्रो. पेंटल ने 2006 में पेश किए गए खुद के ही अपने अनुसंधान के आंकड़ों को बदल दिया और अधिक उपज होने का झूठा दावा किया।

कविता कुरुगंटी ने हमेशा की तरह पॉवर प्वायंट प्रेजेंटेशन के जरिये अपना पूरा ध्यान विषय पर केंद्रित रखा। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि किसी भी जीएम फसल का विकास विज्ञान के साथ समझौते के बिना नहीं हो सका है। चाहे वो बीटी कपास हो, बीटी बैंगन हो या फिर नया जीएम सरसों हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी तिलहन की समस्या का समाधान तकनीक नहीं है। हमें इस समस्या को संपूर्णता में देखना चाहिए। हमें सिर्फ आपूर्ति से संबंधित उपायों पर ही नहीं बल्कि हमें उपभोग से संबंधित जागरूकता को भी मद्देनजर रखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान इसलिए तिलहन नहीं उगा रहे क्योंकि उनकी लागत से सस्ता आयात हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएम सरसों हमारे विज्ञान और हमारे लोकतंत्र दोनों को शर्मिंदा करता है। जीईएसी में कोई भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं है। उपज अधिक होगी, केवल इसी को मुद्दा बना दिया गया। राज्य नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उन पर थोपा जा रहा है। वे लोग जो स्वदेशी के नाम पर जीएम सरसों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जहर आखिर जहर होता है, चाहे उसे मां ही क्यों ने दे।

मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि देश पर जीएम थोपने के लिए झूठ बोला जा रहा है। पूरी दुनिया में कहीं भी जीएम फसलों के जरिये उपज बढ़ाने का अनुसंधान नहीं चल रहा है। इसी तरह सरसों की राष्ट्रीय औसत उपज को लेकर भी गलत बयानी की जा रही है। यह दावा कि जीएम सरसों की उपज राष्ट्रीय औसत उपज से ज्यादा होगी, एक फ्रोड़ है। उन्होंने मायको कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल इस कंपनी के कारण कर्नाटक के किसान 235 करोड़ रू. की फसल गवां चुके हैं और यह कंपनी बिना कोई क्षतिपूर्ति या दंड भुगते गायब हो चुकी है। राज्य सरकार ने किसानों को 35 करोड़ रू. का मामूली मुआवजा दिया है। भारतीय किसान संघ के प्रस्ताव 'जैविक चाहिए, जहर नहीं' को उद्धृत करते हुए मोहिनी मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि जीएम सरसों पर सरकार आगे बढ़ती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

मशहूर माईक्रोबायलोजिस्ट (सूक्ष्म जीव विज्ञानी) **डा. पुष्प भार्गव** ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सबसे पहले स्वदेशी जागरण मंच को धन्यवाद दिया कि मंच ने इस महत्वपूर्ण विषय पर गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया। सरकार के रवैये से क्षुब्ध डॉ. भार्गव ने कहा कि जीएम सरसों भारत के भविष्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। यदि जीएम सरसों के उत्पादन एवं विपणन की इस तरह से अनुमति दी जाती है तो देश की जीवन रेखा भारतीय कृषि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिये अमरीका के चंगुल में पहुंच जायेगी। जीएम सरसों का व्यवसायिक उत्पादन हमारे लिए विध्वंसक साबित होगा और यह भारतीय कृषि पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण का रास्ता खोल देगा। हम अपनी स्वतंत्रता भी खो देंगे। यदि हम इसे रोकने में सफल होते है तो यह हमारी लोकतंत्र की जीत का महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। उन्होंने विवरण देते हुए समझाया कि किस तरह से खाद्य व्यवसाय जो भारत में सबसे बड़ा व्यवसाय है, विदेशी आंखों में खटक रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि जिसके भी नियंत्रण में होगी, वहीं पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करेगा। क्योंकि कुल जनसंख्या का 60 फीसदी और ग्रामीण भारत का 70 फीसदी हिस्सा कृषि पर आश्रित है।

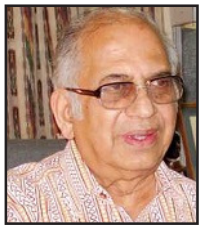

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जीएम सरसों तकनीक को सुरक्षित एवं उपभोग के लिए उचित घोषित किये जाने संबंधी रिपोर्ट पर डॉ. भार्गव ने कहा कि मेरा मानना है कि यह रिपोर्ट अपूर्ण आंकड़े और अधूरे परीक्षण के आधार पर तैयार की गई है। ❑❑

जीएम-सरसों की उत्पादकता मौजूदा किस्मों से कम, इसकी आवश्यकता क्यों?

भारत, अपनी पहली आनुवांशिक बदलावों (जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम) वाली खाद्य फसल – सरसों की किस्म डी.एम.एच.–11, जारी करने के नजदीक बढ़ रहा है। इस किस्म को बाजार में उतारने की वकालत के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये बताया जा रहा है कि इस किस्म से सरसों का बंपर उत्पादन होगा और देश को हजारों करोड़ का तेल आयात करने से राहत मिलेगी, लेकिन ये दावे गलत हैं। देश में सरसों की पहले से ऐसी कई किस्में मौजूद हैं जिनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई इस नई जीएम–सरसों किस्म से बेहतर हैं।

नई जीएम–सरसों से ज्यादा उत्पादकता वाली पांच किस्मों में से तीन तो 'धारा मस्टर्ड हाईब्रिड' यानि डी.एम.एच. सीरीज की ही हैं। डीएमएच–1 की उत्पादकता नई किस्म से 11.35 प्रतिशत और डी.एम.एच.–3 की उत्पादकता नई किस्म से 3.54 प्रतिशत ज्यादा है। सरकारी समिति 'जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमेटी' (जीईएसी) के सामने इस किस्म की खिलाफत कर रही संस्थाओं का समूह पेश हुआ था। इस समूह ने अपनी प्रस्तुति में नई किस्म से 26 प्रतिशत बेहतर उत्पादन के दावों का भरपूर खंडन किया था। इस समूह ने आरोप भी लगाया था कि नई जीएम–सरसों की किस्म विकसित करने वाले लोग इसके प्रदर्शन से संबंधित झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई किस्म बनाने वाले लोगों ने इसके उत्पादन को बेहतर दिखाने के लिए उत्पादकता के आंकड़ों की तुलना सरसों की कई मौजूदा बेकार किस्मों से की।

तीस साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में तिलहन टेक्नोलॉजी मिशन लाकर देश की तिलहन खेती में एक नई धारा को जन्म दिया, जो बाद में 'पीली क्रांति' कहलाई। इस क्रांति का उद्देश्य था खाने के तेल के मामले में भारत को बड़े आयातक से एक आत्मनिर्भर देश बनाना।

– देविंदर शर्मा

मुझे इसलिए ये नहीं समझ आता कि एक कम उत्पादकता वाली जीएम–सरसों की ये नई किस्म देश में खाने के तेल के भारी–भरकम आयात के बोझ को कैसे कम कर पाएगी? दरअसल, देश आज खाने के तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक केवल इसलिए नहीं बना क्योंकि घरेलू उत्पादन घट गया बल्कि इसका एक कारण सरकारी नीति भी है। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने आयात की दरें गिराकर देश में सस्ते आयात को बढ़ावा दिया है और यही वो कारण है जिसने हमें खाने के तेल की आपूर्ति के लिए विदेशों पर इतना निर्भर बना दिया।

तीस साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में तिलहन टेक्नोलॉजी मिशन लाकर देश की तिलहन खेती में एक नई धारा को जन्म दिया, जो बाद में 'पीली क्रांति' कहलाई। इस क्रांति का उद्देश्य था खाने के तेल के मामले में भारत को बड़े आयातक से एक आत्मनिर्भर देश बनाना। असर ये हुआ कि दस साल से कम समय में ही 1993–94 में देश अपनी खाने के तेल की आवश्यकता का 97 प्रतिशत हिस्सा खुद उत्पादित कर रहा था और सिर्फ तीन प्रतिशत विदेशों से मंगाना पड़ता था।

और फिर आने वाले समय में शुरू हुआ इस क्रांति का पतन। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और पीली क्रांति को जान–बूझकर मार डाला। वास्तव में पीली क्रांति का पतन इस बात का आदर्श उदाहरण है कि कैसे नब्बे के दशक के आर्थिक उदारवाद ने देश के उस वक्त सशक्त हो चुके खाने के तेल के बाजार को बर्बाद कर दिया। उस दौर में सरकार ने किया ये कि आयात शुल्क/दरों में भारी गिरावट कर दी जिससे देश में सस्ते आयात की बाढ़ आ गई। आखिर में हुआ ये कि इसने

कुछ दशकों में सरकार ने आयात की दरें गिराकर देश में सस्ते आयात को बढ़ावा दिया है और यही वो कारण है जिसने हमें खाने के तेल की आपूर्ति के लिए विदेशों पर इतना निर्भर बना दिया।

किसानों को तिलहन की खेती से दूर करना शुरू कर दिया। किसानों ने तिलहन फसलों की खेती छोड़ दी और प्रसंस्करण यानि प्रोसेसिंग उद्योग ने घाटों के चलते इस फसल के लिए शटर गिरा दिए। उस ऐतिहासिक गलती का नतीजा आज हमारे सामने है, आज देश खाने के तेल की अपनी आवश्यकता का 65 फीसदी से ज्यादा विदेशों से मंगा रहा है, वो भी 66,000 करोड़ की सालाना लागत से।

हमें ये समझना होगा कि देश ने 2015 में 66,000 करोड़ रुपए खाने के तेल के आयात में इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमारे तिलहन का उत्पादन अचानक कम हो गया, बल्कि इसका कारण सरकारी नीतियां हैं। सरकारों की आयात को बढ़ावा देने की इच्छा की वजह से ही आज हम आयात के खर्च का इतना ज्यादा दबाव झेल रहे हैं।

हालांकि, जीईएसी की एक सब–कमेटी ने जीएम–सरसों की तीन किस्मों – डीएमएच–11 और इसी की पैतृक श्रृंखला की दो और किस्मों को खेती और इंसान के लिए 'सुरक्षित' बताया। हालांकि इस जांच से संबंधित आंकड़ों को सबके सामने जन मंच पर जारी नहीं किया जा रहा है। इससे संबंधित मुद्दा उठने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जीईएसी को निर्देश दिए थे कि वह फसल से सुरक्षित होने के शोध से संबंधित हर जानकारी जारी करे। इस निर्देश के बाद जीईएसी के बारे में कुछ जानकारी वेबसाइट पर डाली गई है, और लोगों को बोला गया है कि अगर उन्हें पूरी जानकारी चाहिए तो दिल्ली आकर अनुमति लें। इसके साथ ही लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे जानकारी पढ़ने के बाद अपने विचार रखें लेकिन वेबसाइट पर विचार व्यक्त करने का एक प्रारूप तय किया गया है जो बिना सर–पैर का है।

रोचक बात ये है कि जीईएसी के सदस्य इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखते कि इस नई किस्म के आने से खरपतवार नाशक रसायन का

इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। डीएमएच–11 खरपतवार नाशक रसायन के असर को बर्दाश्त करने में सक्षम है और इस पर एक ही ब्रांड के खरपतवार नाशी रसायन का छिड़काव किया जा सकेगा। हालांकि कमेटी के लोग सिर्फ ये मानकर निश्चित बैठे हैं कि क्योंकि ये खरपतवार नाशी महंगा मिलेगा इसलिए किसान इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात पर कोई जानकारी देने को तैयार नहीं कि कैसे एक किस्म में सिर्फ एक ही 'ब्रायर' नामक ब्रांड के रसायन के इस्तेमाल होने की आवश्यकता, किसी एक अंतरराष्ट्रीय रसायन बनाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाएगी। उदाहरण बीटी कपास में ही देखा जा सकता है। बीटी कपास के आने से कपास में रायायनिक कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है। उद्योग और सरकारें कुछ भी कहें लेकिन देश में रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग में बढ़ोत्तरी पाई गई। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सी.आई.सी.आर.) के अनुसार 2005 में कपास में 649 करोड़ रुपए का रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल किया जाता था। साल 2010 तक, जब पूरे देश में लगभग 90 प्रतिशत कपास के रकबे पर बीटी किस्म का वर्चस्व कायम हो चुका था, उस समय कपास में कीटनाशक का प्रयोग 880.40 करोड़ रुपए पहुंच गया।

चीन में, जहां बीटी कपास की खेती को ब्रम्हास्त्र बनाकर पेश किया था, वहां किसानों ने बीटी कपास के कीटों को मारने के लिए 20 गुना ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्राजील में, जिसने हाल ही में बीटी–कपास की खेती के मामले में अर्जेन्टीना को पछाड़ा है, वहां कीटनाशक का प्रयोग पिछले दशक भर में ही 190 प्रतिशत तक बढ़ चुका है।

साल 2015 में सफेद मक्खियों के प्रकोप और बॉलवॉर्म नामक कीट के आक्रमण को झेलने में कमजोर हो जाने के बाद से अब भारत के कपास किसान बीटी–कपास से दूर जाना शुरू हो गए हैं। मुझे लगा देश का पर्यावरण मंत्रालय इस घटना से कुछ सीखेगा। जीएम किस्मों के इंसानी स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित न होने के बावजूद मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार जीएम तकनीक को खाने–पीने की फसल में क्यों लाना चाहती है। देश में सरसों की कमी नहीं है और अगर सरकार वाकई इसके आयात के खर्च को कम करना चाहती है तो उसे फिर से 'पीली क्रांति' की ओर बढ़ना होगा। आयात दरों को 70 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा और देश के तिलहन किसानों को तिलहनी फसलों के लिए अच्छे दाम देने होंगे, इससे देश जल्द ही तिलहन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा। ❑❑

(लेखक कृषि एवं खाद्य नीति विश्लेषक हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

काला धनः कितना कालिमा रहित हुआ और कितने साधन जुटे?

देश में काले धन की समस्या सत्तर के दशक से ही एक गंभीर चिंता का कारण बनी रही है। वर्ष 1975 से अब तक पाँच बार अघोषित आय, अर्थात् काले धन के स्वैच्छिक घोषणा की योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। पांचों बार में घोषित 1,06,927 करोड़ रूपयों की राशि भारतीयों की देश विदेश में जमा काले धन का अत्यंत स्वल्प अंश ही प्रतीत होता है।

वर्ष 2015 में विदेशों में जमा अघोषित काली कमाई की घोषणा पर 60 प्रतिशत कराधान की अति उच्च देय होने के कारण मात्र 4,147 करोड़ रूपयों की घोषणा की योजना में भी गयी थी। इस वर्ष 2016 में देश में जमा किये काले धन की घोषणा पर भी 45 प्रतिशत का उच्च कर दायित्व निर्धारित कर दिये जाने के कारण ही संभवतः मात्र 65,250 करोड़ की अघोषित आय ही घोषित की गयी है। हमारे एक माह बाद ही जुलाई 2016 से ही इण्डोनेशिया में प्रवर्तित आय घोषणा योजना के अंतर्गत 30 सितंबर तक तीन माह की अवधि में ही हमारे 30 गुने से अधिक 25 लाख 40 हजार करोड़ रूपये तुल्य या 379 अरब डालर तुल्य 36,000 खरब इण्डोनेशियाई रूपियों की राशि घोषित की गयी है। वैसे देश की अर्थव्यवस्था को काले धन के दुश्चक्र से मुक्त करने के चुनावी वादे के साथ सत्ता में आयी भाजपा नीत सरकार की ''आय घोषणा योजना–2016'' में 65,250 करोड़ रूपये की घोषित राशि स्वाधीनता के बाद काले धन की सबसे बड़ी स्वैच्छिक घोषणा है। इस अघोषित आय पर कर व शास्ती मिलाकर 45 प्रतिशत दर से सरकार को 29,362 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। इस कर राशि के भुगतान के बाद सभी घोषणाकर्त्ताओं के पास बचने वाली

भाजपा सरकार की ''आय घोषणा योजना–2016'' में 65,250 करोड़ रूपये की घोषित राशि स्वाधीनता के बाद काले धन की सबसे बड़ी स्वैच्छिक घोषणा है। इस अघोषित आय पर कर व शास्ती मिलाकर 45 प्रतिशत दर से सरकार को 29,362 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। इस कर राशि के भुगतान के बाद सभी घोषणाकर्त्ताओं के पास बचने वाली अनुमानित 36,000 करोड़ की राशि भी कहीं न कहीं अब देश में वैध पूंजी निवेश का अंग बनेगी। – **प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा**

अनुमानित 36,000 करोड़ की राशि भी कहीं न कहीं अब देश में वैध पूंजी निवेश का अंग बनेगी। योजना के अधीन घोषित यह पूरी की पूरी 65,250 करोड रूपये की राशि अर्थतंत्र में अब तक कहीं न कहीं काला बाजारी व कर चोरी वाले सौदे को ही बढ़ा रही होगी। इस घोषणा राशि के अतिरिक्त मोदी सरकार ने विगत दो वर्षों में रिकार्ड 87,300 करोड़ रूपयों की अघोषित आय पर कर चोरी पकड़ कर राजस्व में और भी वृद्धि की है। इसमें 2015 में घोषित विदेशों में जमा 4147 करोड़ रूपये की आय को और जोड़ देने पर मोदी सरकार को कुल 1,56,697 करोड रूपये तक की अघोषित आय उजागर करा लेना भी एक अपूर्व सफलता है। वस्तुतः यह देश के सकल घरेलू उत्पाद की 1 प्रतिशत राशि है। यह वैसे अत्यंत ही निराशाजनक आकलनों के बीच अंतिम दिनों में हुयी बड़ी घोषणाओं के साथ ही 62,250 करोड़ रूपयों पर पहुंची थी। आय घोषणा की इसके पूर्व की योजनाओं में 1975, 1985–86 व 1997 में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा करायी स्वैच्छिक आय घोषणाओं क्रमशः 1590 करोड़, 2940 करोड व 33,000 करोड रूपयों से कहीं अधिक है। इसके पूर्व की योजनाएं अत्यंत उदार थी, परंतु आय घोषाणाओं की राशि व कर की राशि अत्यंत कम थी। वर्ष 1997 में वित्तमंत्री चिदंबरम के काल में लायी आय घोषणा योजना में बिना शास्ती अर्थात् बिना पेनल्टी के ही मात्र सामान्य रूप से प्रचलित कर की दर पर एवं संपत्ति के मामले में उसकी 10 वर्ष पुराने बाजार भाव पर कर निर्धारण की पेशकश पर भी मात्र 33,000 करोड़ रूपये की आय की घोषणा की गयी थी, जिस पर कर के रूप में 10,100 करोड़ रूपये मात्र प्राप्त हुए थे। वर्तमान आय घोषणा से इसका तिगुना 29,362 करोड़ रूपये का कर राजस्व प्राप्त होगा। ताजा अनुमानों के अनुसार 2016 की आय घोषणा योजना के अधीन घोषित राशि 10,000 करोड़ से और बढ़ सकती है और यह राशि 65,250 करोड़ रूपयों से बढ़कर 75,000 रूपये या उससे भी आगे बढ़ सकती है। पूर्व में घोषित आय का विवरण तालिका में दिया गया है।

तालिका

देश में प्रवर्तित विविध काले धन की घोषणा योजनाओं का विवरण

वर्ष	घोषित राशि (रू. करोड़ों में)	प्राप्त होने वाली कर राशि (रू. करोड़ों में)
1975	1,590	260
1985–86	2,940	390
1997	33,000	10,100
2015	4,147	2,400
2016	**65,250**[1]	**29,362**[2]

1. *प्रारम्भिक राशि जो 75,000 करोड़ रूपयों से आगे बढ़ जायेगी।*
2. *प्रारम्भिक राशि जो रू. 35,000 करोड़ से आगे बढ़ सकती है।*

मोदी सरकार ने विगत दो वर्षों में रिकार्ड 87,300 करोड़ रू. की अघोषित आय पर कर चोरी पकड़ कर राजस्व में और भी वृद्धि की है। इसमें 2015 में घोषित विदेशों में जमा 4147 करोड़ रू. की आय मिलाने पर मोदी सरकार को कुल 1,56,697 करोड रू. तक की अघोषित आय उजागर करा लेना भी एक अपूर्व सफलता है।

वर्तमान आय घोषणा योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक कालेधन की घोषणा 13000 करोड रूपये की हैदराबाद से आयी है और मुम्बई, दिल्ली व पूणे से क्रमशः 8500, 7000 व 4000 करोड़ रूपये की अघोषित आय की घोषणा की गयी है। देश में कुल 64,275 लोगों ने इस आय घोषणा योजना के अधीन अपनी अघोषित आय को घोषित किया है। सड़क किनारे खाने–पीने का सामान बेचने वालों तक ने मुम्बई में 50 करोड़ रूपये की अघोषित आय घोषित की है। घाटकोपर में एक फलों के जूस विक्रेता ने भी 5 करोड़ रूपये की राशि व जेवरों की घोषणा की है। कुल मिलाकर विगत ढाई वर्ष में सरकार के प्रयासों से जो ऊपर उद्धृत 1,56,697 करोड रूपयों की अघोषित आय सामने आयी है। यह राशि जहां देश में जमाखोरी काला बाजारी या अन्य भी बेनामी सौदों को ही बढाने वाली सिद्ध होती वहीं डेढ़ लाख करोड़ पयों की राशि अब देश के अर्थतंत्र में आर्थिक वृद्धि, विकास व लोककल्याण के कामों में आ सकेगी। इसलिये इस प्रकार की स्वैच्छिक आय घोषणा योजनाओं की मात्र सैद्धांतिक आधार पर आलोचनाओं से डर जाने की स्थिति में पिछले वर्ष में विदेशों के जमा आय की घोषणाओं की 4147 करोड रूपयों की राशि सहित इस वर्ष की यह घोषित 65,250 करोड रूपये की राशि मिलाकर दशकों से कर चोरी की यह लगभग 70,000 करोड की राशि अर्थतंत्र को कमजोर ही कर रही थी। वहीं राशि अब अर्थतंत्र की मुख्यधारा में आकर

आर्थिक वृद्धि में योगदान देगी और इस पर प्राप्त कर की राशि लोककल्याण में काम आ सकेगी। इसलिये किसी प्रकार की आलोचनाओं से प्रभावित हुये बिना सरकार ने यह अघोषित आय को घोषित करने की योजना प्रस्तावित की उससे देश के ये वित्तीय संसाधन चलन में आ सकेंगे, सरकार को राजस्व भी मिलेगा और इस घोषित आय पर प्रतिवर्ष कर भी प्राप्त होता रहेगा। आलोचकों का यह दृष्टिकोण कि जिन्होंने करापवंचना की उन्हें यह सुविधा क्यों दी जाये, निर्मूल जो जाती है कि कम से कम यह लगभग 80,000 करोड़ रूपये की राशि श्वेत होकर देश के अर्थतंत्र में योगदान तो देगी। इसीलिये दूसरी ओर इस ''आय घोषणा योजना'' के आलोचकों के विपरीत विशेषज्ञों का एक वर्ग ऐसा भी है, जो इस प्रकार घोषित आय पर कर दर और भी कम रखने का पक्षधर भी है। इस वर्ग का कहना है कि पिछले वर्ष की विदेशों में जमा धन की घोषणा पर 60 प्रतिशत की उच्च दर से कर लगाने के कारण अब कई विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी उच्च कर दर (टेक्स रेट) के कारण तब घोषणाकर्त्ताओं ने मात्र 4164 करोड रूपये की ही घोषणा की थी। अभी घरेलु आय की घोषणा हेतु 45 प्रतिशत के अपेक्षाकृत अल्प कर व शास्ति के प्रावधान के कारण ही आय घोषणा 65,250 करोड रूपयों तक पहुंची है। काले धन की घोषणा पर कर व शास्ति की अल्प दर रखने के पक्षधर विशेषज्ञों का कहना है कि जो आय एक बार घोषित हो जाती है वह देश की श्वेत पूंजी का अंग बन कर आर्थिक वृद्धि, विकास व प्रतिवर्ष कर राजस्व में योगदान देना प्रारंभ कर देती हैं। इन विशेषज्ञों द्वारा इण्डोनेशिया व अर्जेण्टाइना में अल्प दर पर कर लगाने के प्रस्ताव से वहीं कई गुना अधिक राशि घोषित की गयी है। उसके उदाहरण दिये जा रहे है। भारत में पिछले वर्ष की 60 प्रतिशत की

जो आय एक बार घोषित हो जाती है वह देश की श्वेत पूंजी का अंग बन कर आर्थिक वृद्धि, विकास व प्रतिवर्ष कर राजस्व में योगदान देना प्रारंभ कर देती हैं।

कर दर से हुयी मात्र 4147 करोड रूपयों व इस वर्ष 45 प्रतिशत की दर पर घोषित 65,250 करोड़ रूपयों की तुलना में जुलाई 2016 में मात्र 31 प्रतिशत की कर दर लागू करने से इण्डोनेशिया की 9 माह की अवधि वाली आय घोषणा योजना के प्रथम चरण के तीन महिनों में ही 25 लाख 40 हजार करोड रूपयों की राशि घोषित की गयी है। इण्डोनेशिया में प्रथम चरण के बाद, कर दर में 1–3 प्रतिशत व अंतिम तीसरे चरण की तिमाही में कर दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है। सितंबर 30, 2016 को ही इण्डोनेशियाई आय घोषणा योजना की इस 9 माह की अवधि वाली योजना की पहली तिमाही पूरी हुयी और कुल 379 अरब डालर (25,40,000 करोड़ रूपये) जबकि भारत में 2015 को योजना के अधीन 4147 करोड व 2016 की योजना के अधीन 65,250 अर्थात् कुल 69397 करोड की ही घोषणा हुयी है।

इन विश्लेषकों का अनुमान है कि पिछले वर्ष की 60 प्रतिशत व इस वर्ष की 45 प्रतिशत की दर को न्यून रखने पर यह राशि काफी अधिक हो सकती थी। अर्जेण्टाईना में भी अघोषित आय की घोषणा पर कर की दर कम होने से 80 अरब डालर (5,36,000 लाख रूपये) के काल धन की घोषणा हुयी है। इण्डोनेशिया में कालेधन की घोषणा की 9 माह की अवधि के प्रथम चरण में हुयी 36,000 खरब इण्डोनेशियाई रूपिया (379 अरब डालर) में से जो 9250 खरब इण्डोनेशियाई रूपयों की विदेशों में जमा काले धन की घोषणा सामने आयी उसमें 70 प्रतिशत राशि जो लगभग 4,42,200 करोड भारतीय रूपयों तुल्य राशि होती है। अकेले सिंगापुर में जमा थी। दूसरे स्थान पर कैमेने द्वीप व तीसरा स्थान हांगकांग का था। तीन माह में ही कुल मिलाकर 1370 खरब इण्डोनेशियाई रूपयों की विदेशी मुद्रा (140 अरब डालर) वापस इण्डोनेशिया में आ गयी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर देश में 1 करोड लोगों ने रसोई गैस के अनुदान का स्वैच्छापूर्वक परित्याग कर दिया इसके बाद ही केंद्र सरकार ने 5 करोड़ महिलाओं को रसाई गैस कनेक्शन भी प्रदान किये है।

भारत में चार माह की इस आय घोषणा योजना के प्रारम्भिक चरण में तो नगण्य सी ही घोषणाएं हुयी थी। लेकिन, बाद में आय कर विभाग द्वारा जारी 62,000 से अधिक नोटिस व इस अवधि में किये सर्च अभियानों से बने दबाव और अपनी काली आय की घोषणा नहीं करने पर अवधि के उपरांत कठोरतम कार्यवाही की प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री की चेतावनियों का ही असर था कि अंतिम दिन अप्रत्याशित घोषणाएं हुयीं। वस्तुतः प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री की देश में शत–प्रतिशत कर अनुपालना सुनिश्चित करने का आशय प्रकट करने का भी पर्याप्त असर हुआ है। भारत जैसे धर्मभीरू देश में कर अनुपालना व व्यवसाय में सत्यनिष्ठा व नैतिकता का अत्यन्त उच्च स्तर रहा है। स्वाधीनता के बाद चोरी चलन बढ़ा उसके पीछे नेहरू–इंदिरा शासन में समाजवादी जुनून से अति प्रगतिशील कर रचना उत्तरदायी रही है। वस्तुतः 1950 से 1985 तक कर दरें अत्यंत अव्यावहारिक रूप से उच्च रहीं है। वर्ष 1970–71 में 10 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक की कर दरों के 11 स्तर थे। आय कर की अधिकतम 85 प्रतिशत दर पर 10 प्रतिशत सरचार्ज जोड़ने से कर दाता का उच्चतम कर दायित्व 93.50 प्रतिशत तक पहुंच जाता था और 1973–74 में तो व्यक्तिगत आय पर अधिकतम 97.50 प्रतिशत कर दायित्व बन जाता था। स्व. नानी पालखीवाला ने तो 1973–74 की दरों पर गणना करके सिद्ध किया था कि व्यक्ति की भूमि भवन व सम्पदा पर देय कर दायित्व को भी जोड़ देने पर व्यक्ति की आय के शत प्रतिशत से भी ऊँचा कर दायित्व बन जाता था। ऐसे समाजवादी जुनून प्रेरित कर दरों के आतंक के दौर में ही देश मे मजबूरी वश करापवचना व कर चोरी का चलन बनने लगा था और देश काले धन के दुश्चक्र में फसंता चला गया। ऐसे में काला धन बाहर लाने के लिये मजबूरी वश लायी 2016 की यह 'आय घोषणा योजना' एक आवश्यक कदम भी कहा जा सकता है। वर्ष 1985–86 में कही जाकर अधिकतम आय कर की दर को 50 प्रतिशत पर लाकर कर दरों के स्तर भी 4 ही कर दिये गये थे।

समाजवाद के नाम पर स्वाधीनता के बाद जो अति उच्च आयकर दरें रखीं गयी, वह हमारे प्राचीन नीति शास्त्रों के सिद्धांतों के भी विरूद्ध रही हैं। हमारे यहां शुक्र नीति, याज्ञवल्क्य नीति व महाभारत के अनुसार राजा द्वारा इस प्रकार से कर लगानें चाहिए, जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्प को बिना कष्ट पहुंचायें पराग ग्रहण करती है। इस ग्रंथों के अनुसार राजा को उस अंगरक्षक की तरह निष्ठुरतापूर्वक कर नहीं लगाना चाहिये जो अपने लिये कोयला (अंगारे) बनाने के लिये वन को ही जला डालता है। इन नीति ग्रन्थों में यह भी विधान है कि विशेष परिस्थितियों में राजस्व की अतिरिक्त कर प्रदान करने का आग्रह करना चाहिये। जनता का स्वैच्छापूर्वक राजकोष में योगदान का एक उत्तम उदाहरण युद्ध अथवा आपदा के समय स्वैच्छापूर्वक युद्ध कोष या आपदा कोष में अंशदान करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर देश में 1 करोड लोगों ने रसोई गैस के अनुदान का स्वैच्छापूर्वक परित्याग कर दिया इसके बाद ही आज केंद्र सरकार ने 5 करोड़ महिलाओं को जो रसाई गैस कनेक्शन भी प्रदान किये है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो विश्वास आधारित प्रशासन देने के साथ आर्थिक स्वावलम्बन के लिये मुद्रा बैंक के माध्यम से छोटे ऋण, जनधन योजना, जन बीमा, कौशल विकास व 'स्टार्ट–अप–स्टेण्ड–अप भारत' जैसी आर्थिक समावेशीकरण की योजनाओं की सूत्रपात किया है। इस वर्ष की स्पेक्ट्रम नीलामी से जो 5 लाख करोड़ रूपये के लगभग राजस्व मिलेगा, उससे देश में संसाधन संकट नहीं रह जायेगा। इन सबके परिणामस्वरूप भारत एक समर्थ व समृद्ध देश के रूप में विश्व में अग्रणी स्थान बनायेंगा। ❑❑

65,250 करोड रुपये का स्वदेशी काला धन

भारत जैसे 130 करोड जनसंख्या वाले देश में जिस प्रकार गत कुछ वर्षों में स्वदेशी व विदेशी काला धन अभिशाप बन गया है व इससे देश का विकास तो अवरुद्ध हुआ ही वहीं देश के नागरिकों को भी गरीबी की मार झेलनी पड रही है सो अलग। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में कहा था कि देश में काला धन इतना है कि यदि वह सामने आये तो भारत के प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा हो सकते है। देश के असंख्य अशिक्षित व बुद्धिहीन व्यक्ति इस जुमले को सही समझते हुए अभी भी अपने भाषणों के दौरान सार्वजनिक सभाओं में आम जनता से पूछते है कि ढाई वर्ष के मोदी के शासन में किसी व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा हुए है तो आम जनता नकारात्मक उत्तर देती है। इसको भाषण देने वाला अपनी आशातीत सफलता मानता है और मोदी को एकदम से फेल कर देता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी काल में कहा था कि भारत देश पर विदेशी ऋण इतना है कि प्रत्येक भारतीय के हिस्से में साढे तीन हजार रुपये से अधिक आता है तो क्या तब प्रत्येक व्यक्ति से विदेशी ऋण की वह रकम सरकारी खजाने में जमा करवायी गई थी।?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से विदेशों में जमा काले धन को स्वदेश लाने की कवायद शुरु कर दी थी। भारतीय लोगों ने भ्रष्टाचार करके प्राप्त हुए धन को विदेशों के बैंकों में जमा करवाया हुआ है। इस धन से भारत का नुकसान ही हुआ और अन्य विदेशी सरकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। भारतीयों के द्वारा देश में भ्रष्टाचार करके कमाये गये धन को विदेशी बैंको में भारत सरकार की अनुमति के बिना जमा करवाने को एकदम से देशद्रोह मान कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विदेशों से काले धन को वापस लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विदेशों से काले धन को वापस लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए सरकार को कुछ कानूनी व कुछ व्यावहारिक भारी परेशानियों को झेलना पड रहा है। इस सरकार ने जून 2016 में स्वेदश में काले धन को सफेद करने की एक आय घोषणा योजना 2016 (आईडीएस) की घोषणा की थी जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2016 रखी गई थी

– डा. सुर्य प्रकाश अग्रवाल

लिए सरकार को कुछ कानूनी व कुछ व्यावहारिक भारी परेशानियों को झेलना पड रहा है। इस सरकार ने जून 2016 में स्वेदश में काले धन को सफेद करने की एक आय घोषणा योजना 2016 (आईडीएस) की घोषणा की थी जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2016 रखी गई थी तथा आम जनता को कहा गया था कि व अपना काला धन 45 प्रतिशत आयकर जमा करके उजागर कर सकते है तथा उस धन का प्रयोग वे अपने व्यापार धंधें को बढाने के लिए कर सकते है जो धन अब तक गुप्त रुप से छिपा कर रख हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना के अंतर्गत लगभग 65,250 करोड रुपये की रकम उजागर हुई और इससे 30,000 करोड रुपये से अधिक का आयकर सरकार को प्राप्त होने की उम्मीद है। वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार यह शुरुआती आंकडा है इसमें लगभग 10,000 करोड रुपये की बृद्धि की संभावना है। जब सभी घोषित खातों की राशि की गणना हो जायेगी तब काले धन में बृद्धि की संभावना है। 30,000 करोड रुपये के आयकर की यह धन राशि केंद्र सरकार की कई योजनाओं के सालाना बजट से अधिक हैं। वर्तमान समय अर्थात 30 सितंबर 2016 तक केंद्र सरकार 1,40,741 करोड रुपये का घरेलू व विदेशी काला धन व अघोषित आय के रुप में सामने ला सकी है। आईडीएस योजना में 64,275 लोगों ने 65,250 करोड रुपये की काली कमाई की जानकारी सरकार को दी है। यह धनराशि अब तक का रिकार्ड माना जा रहा है। काले धन का अंतिम आंकडा इससे अधिक ही होने का अनुमान है। विदेश से अधिक काला धन देश में ही छिपा मिला। वर्ष 1997 में स्वैच्छिक आय घोषणा योजना में 9,760 करोड रुपये के काले धन का पता लग सका था। इस योजना में तीन महीने के दौरान 644 लोागें ने 4,147 करोड रुपये उजागर किये थे। इससे सरकारी खजाने में मात्र 2,428 करोड रुपये ही जमा हो सके थे। वर्तमान आईडीएस योजना में (1 जून से 30 सितंबर 2016 तक के चार महिनों में) 30,000 करोड रुपये राजस्व प्राप्त होगा और इसमें से लगभग 15,000 करोड रुपये वर्ष 2016–17 में ही मिल जायेंगे बाकी रकम अगले वित्त वर्ष 2017–18 में प्राप्त हो सकेंगी।

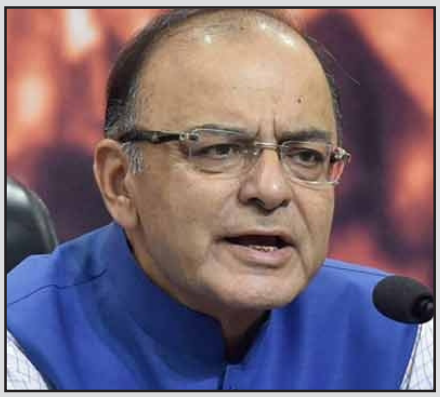

30,000 करोड रुपये के आयकर की यह धन राशि केंद्र सरकार की कई योजनाओं के सालाना बजट से अधिक हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईडीएस की सफलता पर वित्त मंत्रालय की पूरी टीम को बधाई दी और इस योजना में प्रमुख भूमिका निभा रहे राजस्व सचिव हसमुख आढिया को दूरभाष पर बधायी स्वयं मोदी ने दी। इस योजना के लिए एक सुदृढ रणनीति बनायी गई थी तथा 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 के चार माह में प्रति पल निगरानी रखी गई थी। लोगों को घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रत्येक कदम उठाया गया था। उससे ही 65,250 करोड रुपये अब हमारी आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन सका है तथा 30,000 करोड रुपये के कर राजस्व से सरकार के राजकोषीय संतुलन को भी बडी राहत मिली है। आईडीएस की शुरुआती महिनों में लोगों का ठंडा रेस्पांस रहा। सरकार ने आयकर कर नियम को कडा किया तथा काला धन कानून व बेनामी ट्रांजेक्शन जैसे नये कानून बनाये गये।

काले धन की घोषणा न करने पर 30 सितंबर 2016 के बाद कडे दंड का भी प्रावधान रखा गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय व राजस्व विभाग से निरंतर संपर्क में था। शुरुआती ठंडेपन के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक कर रणनीति बदती गई। तय यह हुआ कि एक आक्रामक प्रचार अभियान करके लोगों को इसका महत्व समझाया जाय जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी लोगों पर पडा। वित्तमंत्री अरुण जेटली व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही लोगों में जागरुकता लाने के लिए मैदान में उतर गये। प्रधानमंत्री ने **मन की बात** में भी लोगों को इस योजना का हिस्सा बनने को प्रेरित किया गया। राजस्व सचिव हसमुख आढिया ने लगभग 550 से अधिक सार्वजनिक सभाएं की।

दो दशक पूर्व स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वीडीआईएस) से तुलना करने पर आभास होता है कि इन वर्षों में काला धन लगभग 15 गुना बढ चुका है। 1997 में प्रत्येक व्यक्ति ने औसतन सात लाख रुपये जबकि इस योजना में अब औसतन एक करोड रुपये की काली कमाई की घोषणा की गई। 2011 वर्ष में यूपीए सरकार ने संसद में काले धन को लेकर एक श्वेत पत्र पेश किया था। परंतु इस श्वेत पत्र में देश में कुल मिला कर कितना काला धन है इसका कोई अनुमान नहीं किया गया था। भारत सरकार ने तीन एजेंसियों (एन.आई.पी.

एफ.पी., एन.सी.ई.ए.आर. और एन.आई. एफ.एम.) को काला धन के अनुमन व काले धन को रोकने के उपाय पर सुझाव देने का काम सौंपा था। तीनों एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी परंतु तीनों ने ही देश में छिपे काले धन के आकार के बारे में विश्वसनीयता से कुछ भी नहीं कहा। वर्ष 2012 में स्विटजरलैंड सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके यहां भारतीयों की मात्र दो अरब डॉलर की पूंजी ही जमा है। 2011 के बाबा रामदेव ने काले धन के विरुद्ध अभियान चलाया जिसमें देश व विदेश में भारतीयों के पास चार सौ लाख करोड रुपये का अनुमान प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2009 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे विदेशों में भारतीयों के द्वारा जमा 25 लाख करोड रुपये स्वदेश में लाएंगे। ग्लोबल फाइनेंसियल इंटेग्रिटी ने वर्ष 2010 की अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि वर्ष 1947 से 2008 तक भारत से 462 अरब डालर का काला धन विदेशों में जमा किया गया था। 1974–75 में वांचू समिति ने देश में 7,000 करोड रुपये के काला धन का ही अनुमान लगाया था।

वर्तमान (2016) में 65,250 करोड रुपये के काले धन का खुलासा होना सरकार की एक बडी विजय मानी जायेगी क्योंकि अभी तक की सभी स्वैच्छिक योजनाएं लगभग फूस्स ही साबित हो सकी थी। मौजूदा योजना दंडात्मक प्रावधानों वाली थी जिससे देश में इस योजना के प्रति एक सकारात्मक वातावरण बन सका। अब सरकार को उन तौर तरीकों पर प्रभावपूर्ण रोक लगाना आवश्यक है जिनसे काला धन उत्पन्न होता है अर्थात सरकार को काले धन के विरुद्ध अपने अभियान पर नियमितता के आधार पर जोर देते रहना पडेगा। जहां देश में काले धन पर कठोर कुठाराघात करना होगा वहीं काले धन के लिए कुख्यात देशों पर भी अंतराष्ट्रीय दबाब बनाना जारी रखना पडेगा।

कालेधन के खातों पर गोपनीयता बनाये रखकर वे देश कुल मिलाकर आर्थिक नियमों के विरुद्ध काम करने के साथ साथ देश की गरीबी व असमानता को बढावा देने का कार्य कर रहे है। ऐसे कुख्यात देशों जो काले धन के अडडे बन चुके है उन पर प्रभावी देश अपना दबाब बनाएं। कई ऐसे पेशे है जो संदिग्ध तौर तरीकों से संचालित होते है। और काले धन के व्यवसाय में सहायक बनते है।

काले धन का एक बडा स्त्रोत धन बल के जरिये संचालित होने वाली राजनीति है वैसे अप्रत्यक्ष रुप से यह भी माना जाता है कि भारतीय राजनीति किसी न किसी स्तर पर काले धन पर आश्रित है जिसके कारण काले धन के विरुद्ध कोई भी सरकार कोई कडा कदम नहीं उठा सकी है ऐसा लगता है कि इस मामले में लगभग सभी राजनीतिक दलों के बीच एक गोपनीय आम सहमति सी बनी रहती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने आय–व्यय के खातों का सही सही विवरण देने को तैयार नहीं होती है।

राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों के एक भाग की ही जानकारी दी जाती है यदि राजनीति व चुनावो में सुधारों को एक साथ गति दी जाय तभी काले धन की राजनीति पर अंकुश लग सकता है। इसके साथ प्रशासनिक सुधारों को भी लागू किया जाय क्योंकि काले धन का व्यवसाय समाप्त न होने का एक बडा कारण नौकरशाही का वह हिस्सा है जो इस काले करोबार से लाभान्वित होता है और स्वंय को बचाये भी रखता है। अतः सप्रंग सरकार को भाजपा के नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक संधार, प्रशासनिक सुधार व चुनावी सुधारों को एक साथ एक दिशा में कठोरता के साथ कदम उठाने चाहिए। इन सब मामलों में देश में एक आम सहमति का वातावरण बनाना होगा क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि काले धन पर आम सहमति होती है परंतु आम राय कायम नहीं हो पाती है।

हमारे राजनेता चुनाव जीतने के एक दो साल में ही करोडपति बन जाते है जबकि उनकी आय का कोई प्रत्यक्ष स्त्रोत नहीं होता। इन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है।

सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि हमारे राजनेता–गांव प्रधान व सरपंच से लेकर सांसद व मंत्री तक बने जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के एक दो साल में ही कई कई करोड रुपये के धन के स्वामी बन जाते है जबकि उनकी आय का कोई प्रत्यक्ष स्त्रोत नहीं होता है इसी प्रकार नौकरशाही भी देखते देखते अरबपति बन जाती है। इन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल (डी.लिट्.) सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) के अवकाश प्राप्त प्राचार्य है व स्वतंत्र लेखक व चिन्तक है तथा उनका विषय वाणिज्य है।

सही दिशा में बढ़ता कृषि उत्पादन

कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ मौसम का खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के 1240 लाख टन से बढ़कर इस साल 1350 लाख टन होने का अनुमान है, जो अभी तक का रिकार्ड होगा। पिछले साल के मुकाबले यह 9 प्रतिशत अधिक होगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि हालांकि चावल का उत्पादन मात्र 3 प्रतिशत ही बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन दालों का उत्पादन 57 प्रतिशत और तिलहन का उत्पादन 41 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ने वाला है। उत्पादन के अग्रिम अनुमानों में एक अन्य उत्साहवर्द्धक बात यह है कि मोटे अनाज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 19 प्रतिशत बढ़ेगा। तिलहन का उत्पादन पिछले साल की खरीफ उत्पादन 166 लाख टन से बढ़कर इस साल 234 लाख टन होने वाला है। वास्तव में यह देश के लिए और खासतौर पर गरीब आम आदमी के लिए एक खुशखबरी है।

उत्पादन के अग्रिम अनुमानों में एक अन्य उत्साहवर्द्धक बात यह है कि मोटे अनाज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 19 प्रतिशत बढ़ेगा। तिलहन का उत्पादन पिछले साल की खरीफ उत्पादन 166 लाख टन से बढ़कर इस साल 234 लाख टन होने वाला है। वास्तव में यह देश के लिए और खासतौर पर गरीब आम आदमी के लिए एक खुशखबरी है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

घटेगी आयातों पर निर्भरता

देश में एक तरफ बढ़ती जनसंख्या और दूसरी तरफ दालों और तिलहनों के लगभग स्थिर उत्पादन के कारण देश का घरेलू उत्पादन देश की बढ़ती जरूरतों के मुकाबले बहुत कम रह गया। जहां तक खाद्यान्नों का प्रश्न है, गेहूं और चावल की लगातार बढ़ती हुई प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और बढ़ते क्षेत्रफल के चलते देश खाद्यान्नों में लम्बे समय से आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि चावल का लगातार बड़ी मात्रा में निर्यात भी कर रहा है। गन्ने के उत्पादन में वृद्धि का असर यह है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता, लेकिन दालों और तिलहनों में स्थिति लगातार बदतर होती गई।

गौरतलब है कि 1960 में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 70 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, जो 2013–14 तक आते–आते लगभग 40 ग्राम ही रह गई। हालत यह हुई कि हमारा दालों का आयात बढ़ता हुआ वर्ष 2015–16 तक लगभग 25,609 करोड़ रूपए और खाद्य तेलों का आयात 68,630 करोड़ रूपए तक पहुंच गया। भारी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का पलायन तो हुआ ही, साथ ही साथ दालों और खाद्य तेलों में महंगाई भी बढ़ती चली गई। दालों की कीमतें 150 से 200 रूपए प्रति किलो तक पहुंच गई और आम आदमी की थाली से दाल गायब होने लगी। उधर खाद्य तेलों पर तो हमारी निर्भरता विदेशों पर जरूरत से ज्यादा होने लगी।

कुछ खास है यह वृद्धि

पिछले सालों के उत्पादन की प्रवृत्ति को देखा जाए तो पता चलता है कि अपने देश में दालों का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है। 2014–15 के खरीफ के मौसम में जहां दालों का उत्पादन 57 लाख टन हुआ था, रबी के मौसम में यह उत्पादन 114 लाख टन था। इस बार खरीफ के मौसम में उत्पादन 87 लाख टन हुआ है और अगर रबी के मौसम में भी उत्पादन में वृद्धि इसी अनुपात में होती है, तो संभव है कि हमारे देश की विदेशों पर दाल के मामले में निर्भरता बहुत कम रह जाए और दालों की कीमतें भी नियंत्रण में आ जाएं। गौरतलब है कि इस आशा के साथ ही कि दालों का उत्पादन बढ़ने वाला है, दालों की

कीमतों में कुछ गिरावट भी दर्ज हुई है। दालों के संदर्भ में बढ़ती महंगाई का फायदा कभी किसान को नहीं हुआ, बल्कि इसका लाभ सट्टेबाजों को ज्यादा मिला। सरकार ने हाल ही में देश में दालों की पूर्ति बढ़ाने के लिए मोजांबिक समेत अफ्रीकी देशों से भी कुछ समझौते किए हैं। उधर तिलहनों के उत्पादन में 41 प्रतिशत की वृद्धि से एक आशा की किरण दिखाई है कि इससे देश में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।

सरकारी उपेक्षा का शिकार हुई दालें और खाद्य तेल

यह सही है कि हमारे देश में कृषि योग्य भूमि बढ़ने की बजाय पहले से थोड़ी–बहुत कम ही हुई है। हरित क्रांति के समय से सरकार द्वारा गेहूं और चावल के क्षेत्र में बेहतर बीजों के उपयोग और समर्थन मूल्यों के चलते देश में गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। उधर गन्ने के उत्पादन को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के चलते खासा प्रोत्साहन मिला, हालांकि चीनी मिलों द्वारा गन्ने के भुगतान में देरी से किसान बुरी तरह से प्रभावित भी होता रहा।

लेकिन कृषि उत्पाद में सबसे ज्यादा प्रभावित फसलों में दालें और तिलहन रहे। गौरतलब है कि जहां 1990–91 में गेहूं का उत्पादन मात्र 550 लाख था, 2014–15 में 865 लाख टन हो गया। चावल का उत्पादन इस दौरान 740 लाख टन से बढ़कर 1055 लाख टन हो गया। जबकि दालों का उत्पादन इस दौरान 143 लाख टन से बढ़कर मात्र 172 लाख टन ही हुआ। तिलहनों का उत्पादन भी इस दौरान 190 लाख टन से बढ़कर मात्र 275 लाख टन ही हुआ। 2009–10 तक तो यह मात्र 250 लाख टन ही हुआ था। लेकिन इस दौरान आम आदमी की आमदनियों में वृद्धि के चलते प्रोटीन के स्रोत के नाते दालों की मांग में खासी वृद्धि हुई, जिसके चलते देश में दालों का आयात बढ़ता गया। इसी प्रकार खाद्य तेलों की कमी ने विदेशों से आयात बढ़ाया। 2015–16 में दालों और खाद्य तेलों का आयात 94,239 करोड़ रूपए तक पहुंच गया, यानि लगभग 14.4 अरब डालर।

हम देखते हैं कि एक तरफ कृषि योग्य भूमि में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, सिंचाई की सुविधाओं में थोड़ा बहुत वृद्धि होने से साल में दो या तीन बार खेती होने के कारण खेती का सकल क्षेत्रफल थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन दालों और तिलहनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल लगातार घटता गया। सरकार की उपेक्षा अथवा प्रोत्साहन के आभाव में हमारे देश में तमाम प्रकार के खाद्य तेल धीरे–धीरे विलुप्त होने लगे। तिल के तेल समेत कई प्रकार के तेलों का उत्पादन घटा और अब कुछ नए प्रकार के तेलों का उत्पादन होने लगा, जिसमें सोयाबीन का प्रमुख स्थान रहा। लेकिन तेल की कमी को पूरा करने के लिए रेप सीड ऑयल, पॉम ऑयल, सोया ऑयल और कनोला ऑयल जैसे तेलों का भारी मात्रा में आयात शुरू हो गया।

मात्र एक ही वर्ष में दालों और तिलहनों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि इंगित करती है कि देश में दालों एवं तिलहनों के उत्पादन बढ़ने की खासी संभावनाएं हैं

इस वर्ष खरीफ की फसल में तिलहनों और दालों की बेहतर खेती ने एक आशा की किरण दिखाई है, जिसके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन अभी भी दालों और तिलहनों में देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष उत्पादन बढ़ने से यह सिद्ध होता है कि भारत में दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना संभव है, जरूरत है सरकार द्वारा किसानों को इस हेतु समर्थन मूल्य, बीज की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधाओं, वित्त और भंडारण की सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। यह सही है कि कीमतों को येन–केन–प्रकारेण नियंत्रित करने के लिए दालों और तेल की कमी होने पर सरकार को आयात करना ही पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 25 सालों से ज्यादा समय से दालें और खाद्य तेल लगातार सरकार की उपेक्षा का शिकार होते रहे और देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अकारण बर्बाद होती रही। अभी सरकार द्वारा थोड़े प्रयास हुए हैं और थोड़ा–बहुत दालों की कीमतों ने भी किसान को अवश्य प्रोत्साहित किया होगा, लेकिन दीर्घकाल में दालों और तिलहनों के लिए सरकार को सघन प्रयास करने होंगे।

मात्र एक ही वर्ष में दालों और तिलहनों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्वि इंगित करती है कि देश में दालों एवं तिलहनों के उत्पादन बढ़ने की खासी संभावनाएं हैं और इससे पहले भी दालों और तिलहनों का खासा उत्पादन होता ही था। इस बीच के कालखंड में दालें और तिलहन सरकारी उपेक्षा का शिकार बनें। सरकार द्वारा खरीद की सुनिश्चिता करने और तिलहनों के क्षेत्र में बीज समेत अन्य सरकारी प्रयासों और अच्छी कीमतों के कारण अब तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना संभव हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद भी तिलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए जीएम बीजों की वकालत की जा रही है। देखना होगा कि जीएम बीज तिलहनों और दालों के उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित नीति नहीं है, और यह इस साल उत्पादन बढ़ने से साबित भी होता है। ❑❑

इस्लामिक बैंक, क्यों और किसके लिए?

इस्लामिक बैंक भारत में खोलने को लेकर सुगबुगाहट काफी वर्षों से चल रही है। केरल में तो कुछ लोगों ने सरिया के आधार पर नन बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनाकर चलाई भी है, लेकिन इसी वर्ष अप्रैल में जब प्रधानमंत्री ने सउदी अरब का दौरा किया तो पहली बार कोई गंभीर बात हुई और वहीं तय किया गया कि जेद्दा स्थित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और भारत के एक्जिम बैंक के बीच कारोबारी संबंध बनेगा और उस संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए आईडीबी गुजरात में अपना बैंक खोलेगा।

– विक्रम उपाध्याय

देश में सरिया कानून के तहत चलने वाले बैंक यानी इस्लामिक बैंक खोले जाने पर सरकार कितनी गंभीर है यह तो पता तब चलेगा जब संसद में इस संबंध में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन वित्तीय क्षेत्र में इसे लेकर तैयारी जोरों पर है और उम्मीद की जा रही है भारत में इस्लामिक बैंक का पहला कदम गुजरात के अहमदाबाद में पड़ने वाला है। यह उम्मीद या चर्चा अकारण नहीं है, बल्कि जेद्दा स्थित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (आईडीबी) ने यह ऐलान कर दिया है कि वह अहमदाबाद में अपनी शाखा खोलने जा रहा है। आईडीबी के इस ऐलान को प्रधानमंत्री मोदी के करीबी मुस्लिम नेता सरेश जफरवाला ने भी की है, बल्कि उन्होंने तो यह भी कहा कि इस्लामिक बैंक भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा।

दरअसल इस्लामिक बैंक भारत में खोलने को लेकर सुगबुगाहट काफी वर्षों से चल रही है। केरल में तो कुछ लोगों ने सरिया के आधार पर नन बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनाकर चलाई भी है, लेकिन इसी वर्ष अप्रैल में जब प्रधानमंत्री ने सउदी अरब का दौरा किया तो पहली बार कोई गंभीर बात हुई और वहीं तय किया गया कि जेद्दा स्थित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और भारत के एक्जिम बैंक के बीच कारोबारी संबंध बनेगा और उस संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए आईडीबी गुजरात में अपना बैंक खोलेगा।

हालांकि इस इस्लामिक बैंक को खोलने के पीछे मुख्य मकसद सेवा बताया गया और यह घोषणा भी की गई कि आईडीबी गुजरात में बैंक खोलने के साथ साथ सामाजिक सेवा के तहत एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान करेगा। सुरेश जफरवाला ने इस घोषणा को गुजरात के विकास से जोड़ दिया।

अब यह प्रधानमंत्री के सउदी अरब दौरे का असर हो या फिर आरबीआई के निवर्तमान

गवर्नर रघुराम राजन की अपनी सोंच कुछ महीने पहले ही जारी आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत को भी ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस क्लब से जुड़ जाना चाहिए और इसके लिए हमें जल्दी ही आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए। यानी संसद से इस संबंध में एक कानून पास किया जाना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र ढांचे में मजहबी कानून के आधार पर चलने वाली बैंकिंग व्यवस्था स्थापित हो सके।

जो लोग इस्लामिक बैंक की स्थापना भारत में करने का अभियान चला रहे हैं उनका तर्क है कि सरिया मानने वाले अधिकतर लोग ब्याज के आधार पर चलने वाली बैंकिंग व्यवस्था से बाहर हैं और इसलिए उन्हें बैंकिंग सिस्टम का हिसा बनाने के लिए जरूरी है कि देश में इस्लामिक बैंक की स्थापना की जाए।

ये लोग यह तर्क भी देते हैं कि देश में 18 करोड़ मुसलमान हैं, उन्हें उनके मजहब के आधार पर बैंक से जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। इसके पहले वर्ष 2015 में भी रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया था कि यदि परंपरागत बैंक यह चाहें तो अपनी शाखाओं में अलग से इस्लामिक बैंकिंग विंडों खोल सकते हैं जहां वे सरिया कानून के अनुसार ब्याज मुक्त लेन देन कर सकते हैं।

यही नहीं यह भी सुझाव दिया गया कि मुसलमानों को इस्लामिक फंड के तहत सहायता प्रदान करने के लिए अलग से गैर बैंकिंग चैनल्स भी खोले जा सकते हैं। इस तरह के कुछ फंड केरल और आंध्र प्रदेश में खोले भी गए। कोच्चि स्थित अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट एंड क्रेडिट लिमिटेड तथा चेरामन फाइनेंशियल सर्विसेज सरिया कानून के तरत ही चलाये जा रहे हैं।

टाटा ने भी इथिकल फंड के नाम पर सरिया आधारित म्युचुअल फंड जारी किया था। लेकिन पहली बार ऐसा

क्या वाकई देश में इस्लामिक बैंक खुलने से देश का भला होगा। भारत के मुसलमानों का बहुत लाभ होगा या हमारे विकास में इस्लामिक बैंक कोई बड़ी भूमिका निभायेंगे।

हुआ है कि देश में विधिवत इस्लामिक बैंक खोलने पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए एक विशेष कानून का ढांचा तैयार किया जा रहा है।

यह कहना मुश्किल है कि यह सरकार इस तरह का कोई विधेयक इस समय संसद में लाएगी, लेकिन इसके लाने की तैयारी अंदर अंदर चल तो रही है।

सरकार का विदेशी निवेश पर अत्यधिक जोर होने के कारण यह माना जा रहा है कि इस्लामिक बैंक की अनुमति देकर अरब देशों से बहुत बड़ी मात्रा में इस्लामिक फंड प्राप्त करने के लालच में नया कानून बनाया जा सकता है। मीडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के इस्लामिक देश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारी निवेश कर सकते हैं।

कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे हैं कि इस्लामिक फंड से देश का विकास सस्ते में हो सकता है, क्योंकि सरिया कानून के तहत आने वाले फंड पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और लाभ में हिस्सेदारी देना कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। इसके कारण हमें बिना किसी ब्याज के लंबे समय तक के लिए फंड मिल सकता है। यहीं नहीं मुस्लिम किसानों, बुनकरों और छोटे मोटे रोजगार करने वालों को भी बिना ब्याज के पैसे मिल सकते हैं जिससे वे कर्ज के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।

क्या वाकई देश में इस्लामिक बैंक खुलने से देश का भला होगा। भारत के मुसलमानों का बहुत लाभ होगा या हमारे विकास में इस्लामिक बैंक कोई बड़ी भूमिका निभायेंगे।

अध्ययन से तो ऐसा नहीं लगता। यूं तो मो. मोहम्मद साहब के साथ ही सरिया कानून को लागू होना मानते हैं, लेकिन यह जानकर ताजुब्ब होता है कि पहला विधिवत इस्लामिक बैंक खुला

ही 1975 में। वो भी दुबई में, दुबई इस्लामिक बैंक के नाम से।

पूरे विश्व में इस समय लगभग 300 इस्लामिक बैंक हैं जिनकी कुल संपत्ति लगभग दो अरब डॉलर के बराबर है। यानी विश्व के विकास में इतनी पूंजी की कोई बड़ी भूमिका नहीं हैं। यदि इस्लामिक बैंक वाकई मुसलमानों या मुस्लिम देशों का कोई भला करता तो मुस्लिम देश में ही उनकी उपस्थिति इतनी नगण्य नहीं होती।

सउदी अरब को छोड़ दे तो बाकी मुस्लिम देशों में भी वेसी ही बैंकिंग व्यवस्था चल रही है जैसे सब जगह चलती है। यानी जमा पर देय ब्याज और कर्ज पर ब्याज की वसूली के आधार पर।

विश्व की पूरी इस्लमामिक बैंकिंग व्यवस्था में सउदी अरब की हिस्सेदारी 31.70 फीसदी है तो मलेशिया की 16.70 फीसदी। इन दोनों देशों के अलावा किसी और मुस्लिम देश में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तो इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था में हिस्सेदारी सबसे कम, यानी 1.20 फीसदी ही रखता है।

देश के बंटवारे के तुरंत बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान का गठन किया। आज स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की वहीं भूमिका है जो हमारे यहां रिजर्व बैंक की है।

दूसरी ओर इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था को लेकर यह आशंका है कि इस बैंकिंग व्यवस्था ने आतंकवाद को पनपाने में पूरी मदद की है।

इसी साल फरवरी में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने इस्लामिक फायनेंस एंड एंटी मनी लॉड्रिग एंड कमबैटिंग दि फायनेंस आफ टेरोरिज्म पर एक वर्किंग पेपर जारी किया जिसमें आईएमएफ कहता है– मनी लॉड्रिग और आंतकवाद को वित्त सहायता के मद्देनजर परंपरागत वित्त व्यवस्था में जो जोखिम है वह पूरी तरह से ज्ञात है और संबंद्ध प्राधिकार इसे ठीक से समझते हैं, किंतु इस्लामिक वित्त से जुड़े इस जोखिम के बारे में किसी के पास कोई समझ नहीं है।

कुछ जोखिम तो परंपरागत वित्त व्यवस्था जैसे ही हो सकते हैं, लेकिन इसके अलग जोखिम भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि इस्लामिक वित्त उत्पाद बड़े जटिल है और इस्लामिक वित्तीय संस्थानों ओर उनके ग्राहकों के बीच संबधों की सही सही जानकारी नहीं मिल सकती।

चूंकि सरिया कानून यह कहता है कि किसी को भी जमा पर या कर्ज पर ब्याज लेना गुनाह है इसलिए इस्लामिक बैंक की मुख्य पूंजी दान यानी डोनेशन के जरिये आती है। यह दान या डोनेशन देने वाला व्यक्ति कई बार अपना नाम और अपनी पहचान छुपाये रखता है। कई बार यह सिद्ध हो चुका है कि इस्लामिक बैंक को स्थापित करने या उसके कारोबार को बढ़ाने के लिए डोनेशन देने वालों में बड़े बडे आंतकवादी समूह हैं। इस डोनेशन को इस्लामिक भाषा में जिहाद मनी भी कहा जाता है।

अल राझी बैंक, अल शमाल इस्लामिक बैंक, नेशनल कर्मिशयल बैंक अरब बैंक, इस्लामी बैंक बांग्लादेश लिमिटेड, बैंक मेल और बैं सदेरात जैसे इस्लामी बैंक में डोनेशन देने वालों में अलकायादा जैसे कई आतंकवादी संगठनों का नाम आ चुका है और इन्हीं इस्लामी बैंकों के जरिये इजरायल, अमेरिका, फ्रांस और यहां तक के भारत में आतंकवादी हमले के लिए फंड के इंतजाम किये जाते रहे हैं।

यह भी सही है कि इसके बावजूद इस्लामी बैंकों की विकास दर 15 फीसदी हैं। इस्लामी देशों के अलावा ब्रिटेन, हांगकांग और अमरीका जैसे विकसित देशों में भी इस्लामी बैंक खुल चुके हैं। लेकिन ये बैंक नाम के लिए हैं। कुछ हजार लोगों के लिए है ओर उस पर भी वहां की सरकारें कड़ी नजर रख रही हैं।

क्या भारत में यह प्रयोग किया जा सकता है कि इस्लाम के नाम पर सरिया आधारित बैंकिंग व्यवस्था लागू की जा सके। सवाल कुछ पेट्रो डॉलर का नहीं है, देश की धर्मनिरपेक्षता पर भरोसा और लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की भी है।❑❑

लेखक बिग वायर हिंदी के संपादक हैं

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

सार्क के विकल्प

साउथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल कुआपरेशन यानि सार्क के आठ सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, मालिदवे, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। इस संगठन के कार्यों में भारत एवं पाकिस्तान के बीच काश्मीर विवाद रोड़ा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अफगानिस्तान, बंगलादेश व भूटान ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क शिखर में होने वाले सम्मेलन में भाग न लेने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के भाषण में काश्मीर को ही मुख्य मुद्दा बनाया था। इस विवाद के चलते सार्क को लकवा मार गया है। सार्क का उद्देश्य है कि क्षेत्र के देशों के बीच आपसी व्यापार एवं समन्वय को बढ़ाकर एक दूसरे की समृद्धि एवं खुशहाली में सहयोग हो। परंतु काश्मीर विवाद के कारण पूरी व्यवस्था भटक जा रही है।

इस गतिरोध के चलते सदस्य देशों ने सार्क को दरकिनार करते हुये द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को संपन्न करना शुरु कर दिया है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुये श्रीलंका के व्यापार मंत्री ने हाल ही में कहा– ''श्रीलंका का प्रयास है कि पाकिस्तान तथा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को और गहरा बनाया जाये। दूसरे क्षेत्रीय देशों जैसे चीन सिंगापुर के साथ भी द्विपक्षीय समझौतों को संपन्न करने के प्रयास किये जा रहे हैं।'' सार्क को छोड़कर सीधे द्विपक्षीय समझौते करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूटान में भी मांग उठ रही है कि चीन के साथ व्यापार बढ़ाया जाये। नेपाल का दृष्टिकोण बदलता रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री ओली का स्पष्ट झुकाव चीन की ओर था। वर्तमान प्रधानमंत्री प्रचण्ड की दृष्टि चीन तथा भारत के बीच समभाव की है।

सार्क देश दो बड़े गुटों के बीच लटके हुये हैं। एक तरफ पाकिस्तान–चीन का गठबंधन है तो दूसरी तरफ भारत। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पाकिस्तान की तुलना में भारत भारी पड़ता है। पाकिस्तान के अतिरिक्त हमारी सरहद नेपाल, भूटान, बंगलादेश से जुड़ी है। श्रीलंका एवं मालदिवे समुद्री मार्ग से हमारे जादा नजदीक हैं। हमारे सामने चुनौती है कि

सार्क का उद्देश्य है कि क्षेत्र के देशों के बीच आपसी व्यापार एवं समन्वय को बढ़ाकर एक दूसरे की समृद्धि एवं खुशहाली में सहयोग हो। परंतु काश्मीर विवाद के कारण पूरी व्यवस्था भटक जा रही है।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

अपनी भैगोलिक स्थिति को भुनाते हुये सार्क देशों को अपने से जोड़ लें जिससे इस क्षेत्र का विकास काश्मीर विवाद से ग्रास न कर लिया जाये। इस दिशा में हमें पाकिस्तान को छोड़कर शेष देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहिये। एक संभावना है कि हम ''बंगाल की खाड़ी मुक्त व्यापार क्षेत्र'' बनायें। इस मुक्त व्यापार क्षेत्र में नेपाल, भूटान, बंगलादेश, मालदिवे एवं श्रीलंका को जोड़ा जा सकता है। म्यानमार, लाओस तथा दूसरे पूर्वी एशिया के देशों को भी जोड़ा जा सकता है। दूसरी संभावना है कि हम ''हिन्द महासागर मुक्त व्यापार क्षेत्र'' बनायें। इसमें ऊपर बताये देशों के साथ अफगानिस्तान तथा ईरान को जोड़ा जा सकता है। खबर है कि भारत सरकार द्वारा ''बी.बी.आई.एन'' यानि भूटान, बंगलादेश, इंडिया तथा नेपाल के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह प्रयास सही दिशा में है परंतु इनमें भूटान तथा नेपाल छोटे देश हैं। व्यावहारिक स्तर पर यह भारत एवं बंगलादेश के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र रह जाता है।

इससे बहुत आगे सोचने की जरूरत है। भारत को सभी विकासशील देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की पहल करनी चाहिए। यानि भौगोलिक आधार के स्थान पर आर्थिक आधार को पकड़ना चाहिये। कारण, कि सभी विकासशील देशों के आर्थिक हितों का विकसित देशों से दो विषयों पर सीधा गतिरोध है। पहला विषय पेटेंट कानून का है। आज विश्व के अधिकतर पेटेंट विकसित देश की कंपनियों के पास है। उनके द्वारा पेटेंट कानूनों की आड़ में तमाम माल को महंगा बेचा जा रहा है जैसे जीवनदायिनी दवाओं को। विकासशील देशों के हित में है कि पेटेंट कानून को ढीला कर दिया जाये। डब्लूटीओ की दोहा वार्ता में इस मन्तव्य को स्वीकार किया गया था परंतु बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। इसके विपरीत विकसित देशों के हित में है कि इसे और सख्त बनाया जाये जिससे वे अपने माल को और महंगा बेच सकें। विकसित एवं विकासशील देशों के बीच दूसरा गतिरोध कृषि उत्पादों के व्यापार का है। 1995 में डब्लूटीओ संधि पर हस्ताक्षर होते समय विकसित देशों ने आश्वासन दिया था कि कृषि उत्पादों पर 10 वर्षों के भीतर समझौता कर लिया जायेगा। लेकिन इस मुद्दे पर तनिक भी प्रगति नहीं हुयी। विकासशील देशों के लिये यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे कृषि उत्पादों के लिये विकसित देशों के बाजारों को खोल दिया जाये तो हमारे करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे। लेकिन विकसित देश इसमें रोड़ा अटकाये हुये हैं चूंकि वे अपनी खाद्य सुरक्षा बनाये रखने के लिये वे अपनी जरूरत के कृषि पदार्थों का उत्पादन स्वयं करना चाहते हैं। इस प्रकार डब्लूटीओ को वर्तमान ढांचा विकासशील देशों के हितों के विपरीत है। यही कारण है कि 20 वर्षों में वैश्विक आर्थिक समानता स्थापित करने में प्रगति नहीं हुयी है। आज भी विकसित देशों देशों के 25 प्रतिशत लोगों के पास विश्व की 75 प्रतिशत आय है। वैश्विक आय के इस अन्यायपूर्ण बंटवारे को डब्लूटीओ की परिधि में दूर नहीं किया जा सकता है।

विश्व के अधिकतर पेटेंट विकसित देश की कंपनियों के पास है। उनके द्वारा पेटेंट कानूनों की आड़ में तमाम माल को महंगा बेचा जा रहा है।

विश्व अर्थव्यवस्था की मूलभूत विसंगति को दूर करने के लिये जरूरी है कि सभी विकासशील देश एकजुट होकर विकसित देशों का सामना करें। अतः हमें ''विकासशील देश मुक्त व्यापार क्षेत्र'' बनाने का प्रयास करना चाहिये। इस दिशा में वर्तमान गुटनिरपेक्ष आंदोलन सहायक हो सकता है। इस आंदोलन की शुरुआत पचास के दशक में हुयी थी। तब दुनिया के दो केंद्र अमरीका और रूस थे। भारत के नेहरू, मिस्त्र के नासर, तथा यूगोस्लाविया के टीटो ने विकासशील देशों के लिये इन दोनों गुटों के बीच रास्ता बनाने के लिये इस आंदोलन का गठन किया था। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज दुनिया का एकमात्र ध्रुव अमरीका रह गया है जो विकसित देशों की अगुआयी कर रहा है। विकसित देशों के इस समूह के सामने विकासशील देशों का कोई एकजुट संगठन विद्यमान नहीं है। रूस की स्थिति विकासशील देशों सरीखी ही हो गई है। अतः हमें गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित कर इसे नया आकार देना चाहिये। रूस तथा चीन के साथ सहयोग करके विकसित देशों में आपसी व्यापार बढ़ाना चाहिये। सभी विकसित देश आपस में तकनीकों का आदान प्रदान करें तो विकसित देशों पर हमारी निर्भरता कम हो जायेगी। पेटेंट कानूनों से हो रहा हमारा नुकसान कम हो जायेगा। इस परिप्रेक्ष में गुटनिर्पेक्ष आंदोलन के प्रति भारत की उदासीनता दुखदायी है। अमरीकी बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे हमारा पौधा बड़ा नहीं हो सकेगा। बरगद की ट्रिमिंग करके सैकड़ों छोटे पौधों को बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिये। अपने छुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिये विकासशील देशों के हितों को दरकिनार करते हुये अमरीका से नहीं जुड़ना चाहिये। देखा जाता है कि ट्रेड यूनियनों के दुष्ट नेता मालिक के साथ मिलकर श्रमिकों के हितों को बेच देते हैं। इसी प्रकार भारत को अमरीका के साथ मिलकर विकासशील देशों के हितों को नहीं बेचना चाहिये। ❑❑

वर्तमान समस्याओं में गांधी की प्रासंगिकता

आज जब अगस्त क्रांति को हमें 75 वर्ष हो चुके है तो कभी–कभी भारत की वर्तमान चुनौतियों को देखकर गालिब की कही वो बाद याद आ जाती है जिसमें अपने मुल्क में ही अलग–थलग हो चुके गालिब कहते हैं, 'हिन्दुस्तान, प्रबल झंझावातों और आग की लपटों से घिरा हुआ है, यहां के लोग किस नई व्यवस्था की तरफ उम्मीद और खुशियों से देखें।' गालिब के प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। जिनका उत्तर गांधीवाद में मिल सकता है। फिर प्रश्न उठता है कि अगर गांधी जी हमारे बीच होते तो इन चुनौतियों को किस तरह देखते? बढ़ रही बेरोजगारी से बदहवास युवाओं को इससे निपटने की क्या सलाह देते? पिछले 50 वर्षों में घाटे का सौदा बन चुकी कृषि और लगातार आत्महत्या कर रहे किसानों को क्या कहते? किसानों की अवहेलना करने वाले नीति–नियन्ताओं को क्या सलाह देते? साथ ही दिग्भ्रमित, भ्रष्ट राजनीति की प्रतीक पार्टियों को गांधी सेवा और पवित्रता का क्या संदेश देना चाहत? कश्मीर, नक्सलबाड़ी–बस्तर और नार्थ–ईस्ट में स्कूल–अस्पतालों के निर्माण में बाधा पहुंचाने वाले हिंसक समुहों को गांधी क्या सलाह देते? क्या 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' नारे को आज वो पलटकर 'विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो' का नारा देते? सारे जीवन सांप्रदायिकता, जातिवाद से लड़ने वाले बापू आज इन समस्याओं को अपने दौर में कैसे हल करना चाहते थे।

'हिन्द स्वराज' में समकालीन अनेक ज्वलंत प्रश्नों का गांधी ने उत्तर दिया था, जो उनका उस दौर के प्रभावशाली नेता के साथ ही उत्कृष्ट पत्रकार होने का प्रतीक है। गांधी अपने सरलता और सहजता के लिए तो जाने ही जाते थे, साथ ही वे समान्यजन को सहज उपलब्ध थे। सामान्य लोगों के दर्द को समझने के लिए गांधी भारतीय रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। इन अनुभवों के कारण ही जनता की ताकत के साथ उनकी सीमाओं का उनको अंदाजा था। रचनात्मक कार्यों की लयबद्धता से समाज को बदलने का उनका अपना

'हिन्द स्वराज' में समकालीन अनेक ज्वलंत प्रश्नों का गांधी ने उत्तर दिया था, जो उनका उस दौर के प्रभावशाली नेता के साथ ही उत्कृष्ट पत्रकार होने का प्रतीक है। गांधी अपने सरलता और सहजता के लिए तो जाने ही जाते थे, साथ ही वे समान्यजन को सहज उपलब्ध थे। सामान्य लोगों के दर्द को समझने के लिए गांधी भारतीय रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे।

– मुनिशंकर

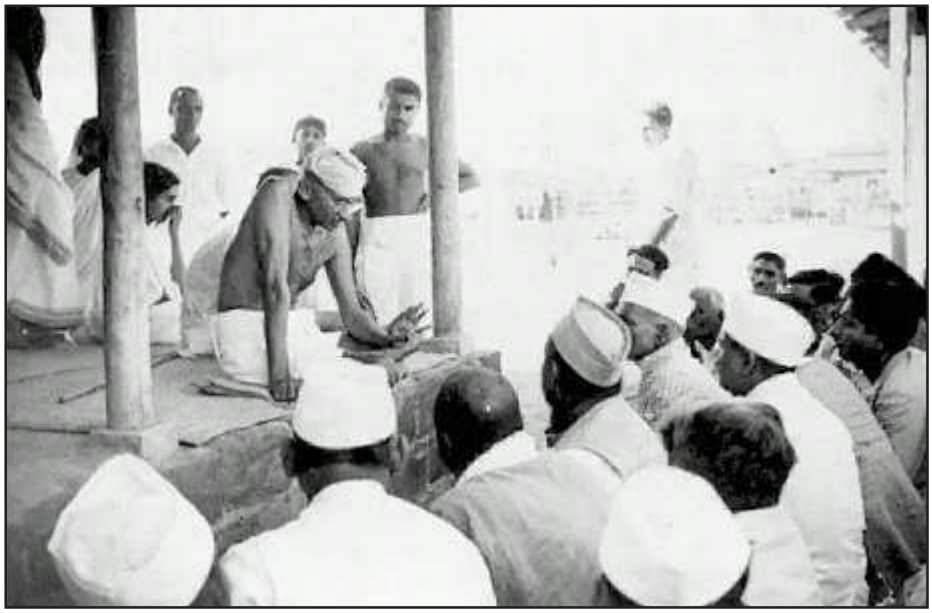

अनुभव था। ये बात सच है कि आज के दौर में आये कई नियम गांधी के सिद्धांतों द्वारा प्रेरित है। उदाहरण के लिए कंपनी बिल में सुधार करके भरतीय कंपनियों को अपने लाभ के 2 प्रतिशत सीएसआर खर्च करने के लिए बाध्य किया गया है। गांधी ने 4 मई 1906 को दक्षिण अफ्रीका में अपने भाषण के दौरान कहा था कि ''दक्षिण अफ्रीका में जहां तक मुझे याद है, वकालत करते हुए मैंने कभी असत्य का प्रयोग नहीं किया और अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा केवल लोकसेवा के लिए ही अर्पित कर दिया था''। ये दर्शाता है कि गांधी कितने दूरदर्शी थे।

देश के नक्सवाद, सांप्रदायिकता और दलितों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा से झुलसते भारत के नेताओं और नागरिकों को एक बार फिर से गांधी के कथनों को पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने अहिंसा का महत्व बताते हुए 'यंग इंडिया, (02–01–30) में लिखते है कि यदि मनुष्य जाति अपने आदतन अहिंसक न होती तो उसने युगों पहले अपने हाथों अपना नाथ कर लिया होता। लेकिन हिंसा और अहिंसा के पारस्परिक संघर्ष के अंत में अहिंसा ही सदा विजयी सिद्ध हुई है। सच तो यह है कि हमने राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों में अहिंसा की शिक्षा के प्रसार की पूरी कोशिश करने जितना धीरज की प्रकट नहीं किया।' ये बातें स्वतंत्रता के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज तो कुछ अपराधी ही हमारे नियामक बन बैठे हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहां नेताओं ने हिंसा को राजनीति के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जिसके परिणामस्वरूप मुजफ्फर नगर और मथुरा का जमीन कब्जा हिंसक वारदात आज आम बात हो गयी। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि गांधीजी के अहिंसा का दृढ़ता से पालन कराया जाए। साथ ही समाज को चाहिए कि वो अपराधी प्रवृत्ति के राजनेताओं को नकार दें।

गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए हरिजन सेवक (20–02–1937) में लिखा है कि 'गांवों की बुरी हालत का कारण यह है कि जिन्हें शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने गांवों की बहुत उपेक्षा की है'। ये बात आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी। आज हमारे गांव विरान होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां रोजगार के साधन नहीं है। जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत उद्यम था, वो शहर की ओर पलायित हो गये। पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में तीन तरह के पलायन की प्रवृत्ति देखी गयी। पहला, गांवों से

शहर अपनी हिफाजत आप कर सकते हैं। हमें तो अपना ध्यान गांवों की ओर लगाना चाहिए।

छोटे शहरों की ओर, छोटे शहरों से महानगरों की ओर और महानगरों से विदेशों की ओर। कभी–कभी ये सीधे छोटे गांवों से विदेशों की ओर या महानगरों की ओर भी हो जाता है। इस कारण से उन प्रतिभाओं को, जिनका लाभ उस गांव, परिवार या शहर को मिलना चाहिए था, नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर, जब युवा पलायित हो जाते हैं तो उनके मां–बाप वहां अकेले रह जाते हैं और तमाम तरह की बुढ़ापे की समस्या का अकेले सामना करते हैं तथा साथ ही नैनिहालों को बुजुर्गों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता नही आ पाती, जो पहले हमारे गांवों में सहजता से उपलब्ध हो जाती थी। इस अंतरपीढ़ी गैप के कारण भारत सरकार के सामाजिक न्याय–अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित अभियान इण्टरजेनेरेशन बॉडिंग प्रोग्राम भी सफल नहीं हो रहा।

आज के दौर में जब किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं और सरकार स्मार्ट शहर को लेकर ज्यादा चिंतित है। ऐसे में गांधी जी द्वारा यंग इंडिया में लिखी बात और भी प्रासंगिक हो जाती है जिसमें गांधी ने कहा है कि 'शहर अपनी हिफाजत आप कर सकते हैं। हमें तो अपना ध्यान गांवों की ओर लगाना चाहिए। हमें उन्हें उनकी संकुचित दृष्टि उनके पूर्वाग्रहों और बहमों आदि से मुक्त करना है और इसे करने के सिवा और कोई तरीका नहीं है कि हम उनके साथ उनके बीच रहें, उनके सुख–दुःख में हिस्सा लें और उनमें शिक्षा तथा उपयोगी ज्ञान का प्रचार करें'। यदि हम ऐसा करने लगे और सूखे से प्रभावित गांवों, कर्जे में डूबे परिवारों से मिलने लगे, उनका दर्द बांटे तो किसानों का आत्महत्यों को रोका जा सकता है। क्योंकि आज भी भारत गांवों में बसता है। गांवों का समृद्ध विकास ही देश का विकास है।

जिन निराशावादी लोगों को अब भी लगता है कि गांधी तो अतीत की बात है, उनके लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कैम्ब्रिज के महान इतिहासकार एफ.डब्ल्यू. मीटलैंड ने कहा है कि 'जो कुछ भी अब अतीत है, वह कभी भविष्य की बात रही होगी'। तानाशाही और विश्व युद्धों के दौर में गांधी जी ने अहिंसा को चरितार्थ करते हुए जीवन जिया था। यही कारण है कि आइंस्टाइन ने अपनी पुस्तक 'आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स' में गांधीजी पर प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है, 'पीढ़ियों के बाद इस बात पर शायद ही कोई विश्वास करेगा कि इस प्रकार का सचमुच जीता–जागता मनुष्य इस धरती पर था, इस तरह वह सार्वकालिक उदीयमान सितारा है।' ❑❑

दत्तोपंत ठेंगड़ी – श्रमऋषि

बाल्यकाल से ही ठेंगडी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और 21 वर्ष की आयु में प्रचारक बने थे, और अंतकाल तक प्रचारक रहे। द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी के जीवनादर्शों का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा। तत्कालीन बहुरंगी विभिन्न ट्रेड यूनियनों में सक्रिय रहकर उन्होंने उनकी कार्यशैली का अध्ययन किया, और श्री गुरुजी की इच्छानुसार भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की।

– डॉ. बलराम मिश्र

अनादिकाल से चली आ रही भेद को विविधता के रूप में और विविधता को एकात्मकता के रूप में देखने वाली भारतीय जीवन–दृष्टि एवं परंपरा, संस्कृति या सनातन धर्म के मूल मंत्र "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" की व्यापक तथा विषद व्याख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने "एकात्म मानव दर्शन" के माध्यम से प्रतिपादित की थी। इस सिद्धांत के आलोक में तथाकथित वैश्विक चिंतन के अंग बने व्यक्तिवाद, स्पर्धा, और संघर्षमूलक चिंतन निरर्थक बन जाते हैं। इस अनुपम जीवन दर्शन को व्यावहारिक रूप सबसे पहले दिया था–श्री दत्तात्रेय बापूराव ठेंगडी (10 नवम्बर 1920 – 14 अक्टूबर 2004) ने। उनका अभ्युदय एक ऐसे काल खंड में हुआ था जब पूंजीवाद एवं साम्यवाद के मध्य चल रहे द्वंद्व ने सारी दुनिया को विद्वेष, संघर्ष और यहां तक कि हिंसा एवं प्रतिहिंसा की चपेट में ले रखा था। ये दोनों परस्पर विरोधी चिंतन जहां एक ओर आपस में रक्त रंजित स्पर्धा की वकालत करते थे, वहीं दूसरी ओर पूरे मानव समाज में संघर्ष, टकराव, ईर्ष्या तथा वर्ग भेद के बीज बोने की परंपरा के वाहक बने। ठेंगडी जी ने एक ऐसा विकल्प दिया जिससे वे दोनों सिद्धांत फीके पड़ गए। सभी प्रकार के वर्ग भेदों की निरर्थकता सिद्ध करते हुए उन्होंने बताया कि संपूर्ण मानव–समाज, मानव देह की भाँति एक इकाई है, विभिन्न प्रकार के दिखने वाले भेद उस के अंग है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंग अलग–अलग दिखते हुए भी वास्तव में अलग नहीं होते, एकदूसरे से जुड़े होते हैं। शरीर के सभी अंगों में पारस्परिक संबंध सदा बना रहता है और स्वचालित, स्वस्फूर्त, स्वाभाविक चेतना निरंतर समन्वय, समरसता, सहयोग, समझ एवं सामंजस्य सभी अंगों को जीवंत गतिशीलता और सुरक्षा देती रहती है। आंखों, हाथों, पैरों आदि के सक्रिय संचालन में कोई संघर्ष नहीं होता। भोजन मुख में दांतों के माध्यम से चबाया जा कर पेट में जाता है, जहां वह पचकर रक्त बनता है, और शरीर के सभी अंगों को आवश्यकता के अनुसार रक्त का वितरण होता है। अंगों में कहीं कोई वर्ग भेद या द्वंद्व नहीं होता।

बाल्यकाल से ही ठेंगडी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और 21 वर्ष की आयु में प्रचारक बने थे, और अंतकाल तक प्रचारक रहे। द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी के जीवनादर्शों का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा। तत्कालीन बहुरंगी विभिन्न ट्रेड यूनियनों में सक्रिय रहकर उन्होंने उनकी कार्यशैली का अध्ययन किया, और श्री गुरुजी की इच्छानुसार भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की।

विभिन्न श्रमिक संगठनों की सभाओं और जुलूसों में टकराव मूलक अनेक नारों को उन्होंने बदल दिया था। "हमारी मांगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हों", के स्थान पर उन्होंने नया नारा दिया, "देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम"। पूंजीवादी औद्योगीकरण एवं साम्यवादी या समाजवादी राष्ट्रीयकरण की अवधारणाओं की अपर्याप्तता को रेखांकित करते हुए उन्होंने एक अद्वितीय त्रिसूत्रीय, सतत गतिशील, सिद्धांत–चक्र का निरूपण किया, "राष्ट्र का औद्योगीकरण हो, उद्योगों का श्रमिकीकरण हो, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण हो...." (Industrialise the Nation, Labourise Industries, Nationalise the Labour.....)। इस चक्र की सतत गतिशीलता को राष्ट्रोत्थान का माध्यम सिद्ध किया। इस चक्र ने पूंजीवादी और वाममार्गी/समाजवादी सारी व्यवस्थाओं को फीका कर दिया।

देश के शोषित, पीड़ित, दलित जनों के वे सच्चे भाग्य विधाता थे। भारतीय मजदूर संघ के अलावा उन्होंने लगभग एक सौ संगठनों के जन्म की प्रेरणा दी, जिनमें प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सामाजिक समरसता मंच, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, संस्कार भारती, सर्वधर्म समादर मंच, एवं स्वदेशी साइंस मूवमेंट आदि।

14 अक्टूबर 2004 को ठेंगडी जी ने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करने के पूर्व जो पुरुषार्थ किया और करोड़ों परिवारों की कृतज्ञता अर्जित की, उसकी समग्रता पर दृष्टि डालने वालों का मानना है कि उनका मूल्यांकन एक व्यक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता। ठेंगडी जी एक सरल स्वभाव वाले श्रमऋषि थे। राजनीति से उनका कुछ भी लेना देना न था। प्रसिद्धि परान्मुखता की तो वे जीवंत मूर्ति थे। पद, प्रतिष्ठा, या यशकामना ने उन्हें छुआ तक न था। अटल सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पद्मश्री पुरस्कार के प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था।

एक चर्चा सत्र में उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। एक बार उनके बाल्यकाल के मित्र उनसे मिलने आए। बातचीत के दौरान उन्होंने ठेंगडी जी से कहा, 'दत्तू (वे ठेंगडी जी को इसी नाम से संबोधित करते थे), मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा बना रहता है, पर पूछना नहीं चाहता, खैर छोड़ो'। ठेंगडी जी के द्वारा आग्रहपूर्वक सवाल पूछने के लिए कहने पर वे बोले, 'तू इतने सालों से घर के बाहर रह रहा है, परिवार भी नहीं बसाया, संघ का प्रचारक बन कर समाज सेवा में अपनी पूरी जिंदगी हवन कर रहा है, किन्तु आज तक तू कैबिनेट मंत्री तो दूर, उपमंत्री भी न बन पाया।' ठेंगडी जी ने इस प्रश्न का उत्तर केवल अट्टहास के रूप में दिया था। उन सज्जन को क्या पता था कि सच्ची समाज सेवा करने के लिए पद–प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, और ठेंगडी जी के त्याग और तपोधन से शोषित पीड़ित समाज को कितना बड़ा लाभ मिलता रहा है।

सच्ची समाज सेवा करने के लिए पद-प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, और ठेंगडी जी के त्याग और तपोधन से शोषित पीड़ित समाज को बड़ा लाभ मिलता रहा है।

1964 से 76 तक वे राज्यसभा के सदस्य बनाये गये। लोग यह जानकर चकित रह जाते थे कि अनेक प्रकार के गंभीर विषयों पर वे राज्यसभा के चेयरमैन डॉ जाकिर हुसेन के अनौपचारिक रूप से निकटतम सलाहकार थे।

एक बार एक लड़ाकू वृत्ति वाले युवक ने उनसे पूछा, 'आप कर्तव्य की ही बात करते है, अधिकारों की बात क्यों नहीं करते? अधिकारों की रक्षा हेतु संघर्ष तो करना ही पड़ता है। आप क्या कहते हैं?' ठेंगडी जी ने सहज उत्तर दिया, 'सभी के द्वारा अपने–अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने से सभी के अधिकार स्वयं ही मिल जाते हैं। पिता के कर्तव्य में पुत्र के अधिकार निहित होते हैं, शासक के कर्तव्य पालन में शासित के अधिकार स्वयमेव निहित होते हैं, किसी भी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं रहती। आवश्यकता होती है–सामाजिक सौहार्द, शुभेच्छा, भाईचारा, तथा शोषण या बेईमानी रहित सहयोग की।' यह उत्तर पाकर उस युवक की ऐंठ ढीली पड़ गयी थी। उसने कहा, 'सर, आपकी यह व्याख्या बहुत अच्छी है।' ठेंगडी जी बोले, 'यह मेरी व्याख्या नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सभी कुछ भारत के प्राचीन ग्रंथों में से परंपरागत चला आ रहा है।'

यह ठेंगडी जी की निरंतर तपश्चर्या का ही प्रतिफल था कि ट्रेड यूनियन जगत पर साम्यवादियों का प्रभुत्व लगभग समाप्त हो गया और भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन गया। उन्होंने मजदूर संगठनों के ब्रह्मास्त्र माने जाने वाले 'बंद' या हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया, और न ही मजदूर संघ को किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू बनने दिया। उनका चिंतन शहरी, ग्रामीण, जाति, मजहब, भाषा, या क्षेत्रीयता संबंधी किसी भी प्रकार के वर्ग भेद से ऊपर था, और इसी आधार पर उनके द्वारा खड़े किए गए सभी संगठनों का उद्देश्य सदैव रहा–भेदभाव रहित राष्ट्र हित। उनके द्वारा लिखी गयी लगभग पचास पुस्तकों एवं हजारों चर्चाओं–वार्ताओं में उनकी विशुद्ध स्वदेशी विचार धारा के दर्शन होते हैं। ❑❑

परंपरागत सिंचाई के साधनों से क्यों विमुख हैं हम?

तालाबों का चलन हमारे यहां काफी पुराना है। बारिश के या किसी झरने के पानी को रोककर इकट्ठा करने के लिये तालाब बनाए जाने के प्रमाण हमारे यहां पौराणिक काल से मिलते हैं। देश में इस तरह के हजारों तालाब आज भी मौजूद हैं। वह बात दीगर है कि सरकारी उपेक्षा और अतिक्रमण के चलते उनमें से हजारों का अस्तित्व आज नहीं है। लेकिन खण्डहर कहीं–कहीं उनके होने का प्रमाण जरूर देते हैं।

– ज्ञानेन्द्र रावत

आजकल कावेरी के जल के बंटवारे से जुड़ा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो देश में इस विवाद के अलावा भी दूसरे राज्यों में जल के बंटवारे को लेकर बहुतेरे विवाद चर्चा में हैं। इनमें कृष्णा नदी जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद, सतलुज–यमुना लिंक नहर विवाद और मुल्ला पेरियार बांध से जुड़े विवाद प्रमुख रूप से चर्चित हैं। इनको लेकर राज्यों में आज भी टकराव कायम है।

विडंबना है कि केंद्र के हस्तक्षेप के बावजूद भी इनका हल आज तक निकल नहीं सका है। इसके पीछे राज्यों की कृषि के लिये सिंचाई हेतु अधिक–से–अधिक पानी लेने की चाहत ही वह अहम कारण है जिसके चलते ये विवाद आज तक अनसुलझे हैं। नतीजन इसकी खातिर अक्सर राज्यों के बीच कानून–व्यवस्था बनाए रखने की समस्या आ खड़ी होती है जो कभी–कभी विकराल रूप धारण कर लेती है। समझ नहीं आता कि लोग नदी जल के ऊपर ही क्यों आश्रित हैं। वे यह क्यों नहीं सोचते कि वह तो सबका है। उस पर वह अपना ही एकाधिकार क्यों समझते हैं। उसी के लिये क्यों वे एक–दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं जबकि पहले हमारे यहां खेती की सिंचाई के लिये लोग अधिकतर तालाब, पोखर, कुएं आदि परंपरागत साधनों का ही इस्तेमाल किया करते थे। इतिहास इसकी गवाही देता है। लेकिन आज हम उससे विमुख होते जा रहे हैं। मौजूदा जल संकट और उससे जुड़े विवाद इसके जीवंत प्रतीक हैं।

गौरतलब है कि तालाबों का चलन हमारे यहां काफी पुराना है। बारिश के या किसी झरने के पानी को रोककर इकट्ठा करने के लिये तालाब बनाए जाने के प्रमाण हमारे यहां पौराणिक काल से मिलते हैं। देश में इस तरह के हजारों तालाब आज भी मौजूद हैं। वह बात दीगर है कि सरकारी उपेक्षा और अतिक्रमण के चलते उनमें से हजारों का अस्तित्व आज नहीं है। लेकिन खण्डहर कहीं–कहीं उनके होने का प्रमाण जरूर देते हैं।

कुछेक दशक पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप शृंगवेरपुर में तकरीब 2000 साल से भी अधिक पुराना तालाब मिला। लगता है यह वही तालाब है जहां से भगवान श्रीराम ने अपने 14 साल के वनवास की शुरुआत की थी। यह वही जगह है जहां से उन्होंने निषादराज गुह की नाव से गंगा पार की थी। एक अन्य प्रमाण पम्पासर तालाब का रामायण में मिलता है। बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पम्पासागर तालाब शायद वही पम्पासर तालाब है।

यह तो रही इतिहास की बात, तालाब बनवाने में हमारे देश में देसी रियासतों और राजाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक राज के दौर में तो राजाओं और रियासत काल के दौरान बनाए तालाबों के अस्तित्व को ही मिटाने का काम हुआ है। यह भी कि आजादी के बाद के दौर में नए तालाब खुदवाने की बात तो दूर रही, पुराने तालाबों की देखभाल करने

में भी भारी उपेक्षा बरती गई। इसे झुठलाया नहीं जा सकता।

अंग्रेजी राज को लें, उसके प्रारंभिक दौर में अनेकों बरतानी विशेषज्ञ न केवल हमारी परंपरागत सिंचाई पद्धति को देखकर दंग रह गए, बल्कि उन्होंने तालाबों से की जाने वाली हमारी प्राचीन परंपरागत सिंचाई प्रणाली की भूरि–भूरि प्रशंसा भी की। लेकिन उन्हीं के राज में उनके ही द्वारा इसकी उपेक्षा का जो दौर शुरू हुआ, फिर वह लगातार बढ़ता ही गया।

दुःख इस बात का है कि आजादी के बाद भी वह सिलसिला बराबर जारी रहा और नेतृत्व ने इस ओर ध्यान देने का कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। विडंबना देखिए कि आज का लोकतांत्रिक ढांचा भी उसी आधुनिकता वाली नींव पर टिका है। सच्चाई तो यह है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।

देश के दक्षिणी राज्यों में सिंचाई प्रणाली की बात करें तो पाते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी के दौर में उस समूचे इलाके में तालाबों से की जाने वाली सिंचाई की व्यवस्था अद्‌भुत थी। 1860 के दौर में किये एक अध्ययन में इसको असाधारण व्यवस्था की संज्ञा देते हुए इसकी प्रशंसा की गई है।

उस समय के एक अपूर्ण आलेख से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के कम–से–कम 14 जिलों में 43,000 तालाबों पर काम चल रहा है और वहां पर 10,000 तालाबों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इस तरह इस इलाके में कुल मिलाकर 53,000 तालाब हैं।' 'इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमिएरिड ट्रॉपिक्स' की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि देश में तालाबों से सिंचाई के प्रमाण हर जिले में अलग–अलग हैं। उसके अनुसार देश के अधसूखे और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र खासकर दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिले, दक्षिण मध्य कर्नाटक, तेलंगाना और पूर्वी विदर्भ के अलावा मध्य भारत में तालाबों की संख्या ज्यादा है। उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत प्रदेश कह सकते हैं और राजस्थान की अरावली पर्वत माला के पूर्व में अधिकांशतः सिंचाई तालाबों से ही की जाती थी। यह सही है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 1882–83 के बाद से तालाबों से सिंचाई के काम में बढ़ोत्तरी तो नहीं हुई, लेकिन उस इलाके में फसलों का क्षेत्र लगभग आठ गुणा ज्यादा बढ़ा। जबकि सौ साल पहले 50 फीसदी से ज्यादा तालाबों से सिंचित क्षेत्र का रकबा था लेकिन आज उपेक्षा के चलते घटकर वह कुल 10 फीसदी से भी कम रह गया है।

गौरतलब है 1880–1890 के बीच निजाम हैदराबाद ने रियासत में बहुत बड़ी तादाद में तालाब बनवाएं। 1895–96 के बीच वहां तालाबों से सिंचित जमीन तकरीब 4000 हेक्टेयर थी जो 1905 में बढ़कर 55,000 हेक्टेयर हो गई। 1940 तक वह बढ़कर 364,000 हेक्टेयर पहुंच गई। जबकि इसमें निजी तालाबों से सिंचित जमीन शामिल नहीं है।

पहली पंचवर्षीय योजना में टूटे तालाबों की मरम्मत पर खास जोर दिया गया। उसके लिये तकाबी, कर्जे और अनुदान के लिये बहुत बड़ी रकम मुहैया कराई गई थी। नतीजन 1958–59 तक पूरे देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाबों से सिंचित जमीन का रकबा 21 फीसदी तक हो गया। लेकिन 1978–79 के बीच यह घटकर 10 फीसदी ही रह गया। इसी प्रकार तालाब से सिंचित रकबा भी 1958–59 से 1964–65 तक बढ़कर 48 लाख हेक्टेयर हुआ जो 1979 तक घटकर केवल 39 लाख हेक्टेयर रह गया।

तमिलनाडु को लें, एक समय इसे तालाबों का राज्य कहा जाता था। दूसरे सिंचाई आयोग ने यहां 27,000 तालाब होने का अनुमान लगाया था। लेकिन आयोग के अनुसार वहां के अधिकतर तालाब उपेक्षा के शिकार थे।

कृषि विशेषज्ञों की मान्यता है कि तालाबों से सिंचाई आर्थिक दृष्टि से लाभदायक के साथ ज्यादा उत्पादक भी है। पूर्व कृषि आयुक्त डीआर भूंबला के अनुसार पानी के अच्छे प्रबंध के लिये तालाब ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं और 750 मिलीमीटर से 1,150 मिलीमीटर बारिश वाले मध्यम स्तर के इलाकों में नहर सिंचाई व्यवस्था का यह सबसे अच्छा विकल्प है।

अनुसंधानों ने सिद्ध किया है कि ऐसी स्थिति में यदि फसलों को तालाबों से अतिरिक्त पानी मिल जाता है तो प्रति हेक्टेयर एक टन से ज्यादा पैदावार बढ़ती है। फिर बाढ़ रोकने में भी तालाब बड़े मददगार होते हैं। उनसे कुओं में पानी आ जाता है जिससे पीने के पानी की समस्या का भी समाधान होता है और बारिश के दिनों में अतिरिक्त पानी की निकासी की सुविधा भी हो जाती है।

महाराष्ट्र और कर्नाटक के ज्वार पैदा करने वाले इलाकों में तालाब से सिंचाई करने से ज्यादा फायदा हो सकता है। सच है कि नए तौर–तरीकों और तकनीक का ढिंढोरा पीटने के बावजूद आज भी बहुतेरे इलाकों में इन्हीं तालाबों के बल पर ग्रामीण व्यवस्था टिकी हुई है। तात्पर्य यह कि आज लद्दाख जैसी जगह पर जहां हर घर के हर खेत को पानी पहुंचाने का काम परंपरागत तरीके से होता है, ऐसी हालत में नदियों के पानी के भरोसे रहना कहां तक न्यायसंगत है।

आज कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में कावेरी का समुचित पानी न मिलने से सांबा की फसल बर्बाद हो रही है और कर्नाटक का कहना है कि बांध में पानी कम होने से सिंचाई और पीने के पानी का संकट गहरा गया है, ऐसी स्थिति में परंपरागत जल संसाधनों का उपयोग ही अच्छा विकल्प है। जल संकट का यही एक उचित समाधान है। इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। ❑❑

साभार: http://hindi.indiawaterportal.org/

*संचार क्रांति के साथ लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये हैं। मोबाईल तो जैसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो गया हो, हर प्रकार के संदेशों के आदान–प्रदान के लिए मोबाईल एक वरदान यंत्र हो गया है। मोबाईल का ही एक प्रमुख फीचर है–**'व्हाटसएप'**। इस एप के जरिये 24 घंटे लोग एक–दूसरे से जुड़े रहते है। कुछ तो बातें काम की होती है तो कुछ बेकाम की। यहां हम व्हाटसएप के जरिये हस्तांतरित कुछ संदेशों को उपयोगिता के आधार पर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं –*

जीवनोपयोगी बातें

- जो–जो वस्तु मन को प्यारी हो, उसका त्याग कर देने से मन शांत होता है।
- यह मैं हूं, यह मेरा है इस भावना को मिटाने के अभ्यास से मन शांत होता है।
- संसार में स्वप्न की भावना करने से मन शांत होता है।
- पदार्थों को भूलते रहने से मन शांत होता है।
- विषयों में दोष दृष्टि से मन शांत होता है।
- शरीर को 'मकान' की भांति और अपने को 'मकानी' जानने से मन शांत होता है।
- भोगों को रोग का कारण समझने से मन शांत होता है।
- किसी प्रकार की इच्छा न करने से मन शांत होता है।
- छोटे बालक की तरह अपने मन को बनाने का अभ्यास करो। मन शांत रहेगा।
- अपने मन से भले–बुरे की भावना मिटा दो। मन शांत होगा।
- संयोग–वियोग, जीवन–मरण, लाभ–हानि, मान–अपमान, स्तुति–निन्दा, जय–पराजय, आदि का भाव मन से हटा दो, मन को शांति प्राप्त होगी।
- मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं ऐसा विचार करो, मन शांत हो जायेगा।
- आंख बंद करके, अपने भीतर देखो – इसका अभ्यास करो, मन शांत होगा।
- प्रतिदिन प्रातः ध्यान योग की मुद्रा में बैठकर दोनों भौंहों के बीच में ध्यान लगाओ इससे धीरे–धीरे मन शांत होगा।
- कोई भी भगवान नाम का जप पहले जोर–जोर से करो, फिर धीरे–धीरे एवं बाद में मन–मन में करो – चुपचाप बैठे रहो मन शांत होगा।
- शुभकर्म करो, फल की इच्छा मत करो–मन शांत होगा।
- जो कुछ भी कर्म करो, अपने इष्ट को समर्पण कर दो, मन शांत हो जायेगा।
- अपने प्रेमी–इष्ट का चिंतन करो, चिंतन करते–करते अपने आपको भूलने का अभ्यास करने से मन शांत हो जायेगा।
- यदि आपका मन कीर्तन में, सतसंग में लगता है तो खूब कीर्तन करो, धीरे–धीरे मन शांत होगा।
- जो कुछ आपके पास है, उसको त्याग करने की भावना बनाओ और त्याग करो, देखो धीरे–धीरे मन शांत हो जायेगा।
- आप अपने अन्दर सबको सुख–शांति पहुंचाने का हमेशा विचार करो और इस दृष्टि से कार्य भी करो, मन अवश्य शांत होगा।
- स्वप्न में भी पराये धन एवं परायी नारी को अपनाने का विचार मत करो, मन से इनका चिंतन छोड़ दो, देखो मन कितना शांत होता है।
- कभी भी अशुभ कर्म करने का विचार मत करो, मन अवश्य शांत होगा।
- अच्छा साहित्य पढ़ो, धर्मशास्त्र तथा वेदांत शास्त्रों को पढ़ने का अभ्यास करो मन शांत होगा।
- कभी भी किसी का बुरा न विचारो, न करो, न सुनो तथा न देखो मन अवश्य शांत होगा।
- सदैव सबकी भलाई सोचो, मीठा बोलो, अच्छी बात करो, शुभ कर्म करो और पवित्र दृष्टि से देखो – मन अवश्य शांत होगा।
- जितना कहो, उससे ज्यादा करो, जितना पढ़ो, उससे ज्यादा मनन करो, जितना दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करो उससे ज्यादा अच्छा खुद बनो, मन शांत रहेगा।
- मन में संतोष, सहनशीलता एवं शांति इन तीन बातों को रखो – मन शांत रहेगा।
- वाणी का मौन– मन को महान शांति देने वाला उपाय है।
- प्रलय का विचार करो, मृत्यु का ध्यान करो – मन में स्वतः ही शांति हो जायेगी।
- सब कुछ परमात्मा का है, मैं परमात्मा का अंश हूं, इस भाव से जगत में व्यवहार करो मन स्वतः ही शांत हो जायेगा।
- मृत्यु का स्मरण रखो, मन शांत रहेगा।
- परमात्मा पर अटूट विश्वास रखो, भक्ति का आश्रय लो, मन हमेशा शांत रहेगा।

डॉ. विजय वशिष्ठ
सेवानिवृत्त प्राचार्य (राजकीय महाविद्यालय)

1 पैसे में 10 लाख का बीमा

रेलवे अब अपने पैसेंजर्स को मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए भी इन्श्योरेंस पॉलिसी देगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) 92 पैसे में लाइफ इन्श्योरेंस पॉलिसी पहले ही दे चुका है। शुरुआत में क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और सरकारी कर्मचारियों को यह पॉलिसी देने का आइडिया है। रेल पैसेंजर्स को 7 अक्टूबर से महज 1 पैसे के टोकन प्राइस में 10 लाख रुपए के बीमे की फैसिलिटी होगी। अब तक इस बीमे के लिए 92 पैसे लिए जाते थे।

देश की सबसे बड़ी प्रोपर्टी डील

मुंबई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव क्यों हासिल है। इस बार मुंबई देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील की गवाह बनी है। कनाडा की कंपनी ब्रूकफील्ड असेट मैनेजमेंट ने हीरानंदानी ग्रुप के पवई और मुंबई ऑफिसों और रिटेल स्पेस को 1 अरब

अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,700 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। हीरानंदानी ग्रुप के पास पवई में ऑफिस और रिटेल स्पेस है, जिसे ग्रुप ने करीब एक दशक में तैयार किया है।

पेप्सी, कोक में खतरनाक केमिकल

मैगी के बाद अब पेप्सी और कोक में भी खतरनाक केमिकल मिले हैं। इसका सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। ये टेस्ट भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ही कराया गया है। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्लास्टिक बोतलों में ये खतरनाक केमिकल मिले हैं जो आसानी से पेय पदार्थ में मिल जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की प्लास्टिक बॉटल में 5 तरह के खतरनाक जानलेवा तत्व–भारी तत्व, लेड, क्रोमियम, कैडमियम और डाई पैथलेट मिले हैं। ये सभी तत्व सामान्य

तापमान से ज्यादा होने पर पेय पदार्थ में घुलनशील हो जाते हैं। ये खुलासा किया है भारत सरकार के ही एक अध्ययन में। ये अध्ययन पेप्पी, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट और 7अप की बोतल पर किया गया था।

जीएसटी में मदद के लिए होंगे जीएसपी

आम व्यापारियों को जीएसटी लागू होने के बाद इससे जुड़ी सेवाएं देने के लिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर (जीएसपी) बनाने की पहल की जा रही है। जीएसटी के लिए तकनीकी नेटवर्क तैयार कर रही कंपनी जीएसटीएन ने

व्यापारियों को किसी तीसरे पक्ष यानी व्यक्ति या संस्था के जरिये औपचारिकताएं पूरी करने का विकल्प देने का फैसला किया है। जीएसटीएन ने जीएसपी नियुक्त करने के लिए बैंक, आइटी कंपनियों और फाइनेंशियल आइटी कंपनियों को जीएसपी बनाने के लिए आमंत्रित किया है। जीएसपी करदाताओं को रजिस्ट्रेशन करने, रिटर्न भरने और टैक्स भरने की सेवाएं देंगे और मदद करेंगे।

रिलायंस जियो ने बनाया विश्व रिकोर्ड

दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अपने परिचालन के पहले ही महीने 1.6 करोड़ ग्राहक बनाये हैं। कंपनी का कहना है कि यह अपने आप में एक विश्व रिकार्ड है क्योंकि उसने यह उपलब्धि दुनिया की किसी भी अन्य दूरसंचार कंपनी या स्टार्टअप से ज्यादा तेजी से हासिल की है चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप या स्पाइक हो।

कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार, अंबानी ने नयी कंपनी की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है, हमें खुशी है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं और हमारी सेवाओं का

पूरा इस्तेमाल कर रहे है। जियो का उद्देश्य डेटा की ताकत से हर भारतीय को सशक्त बनाना है।

ब्रिटिश कंपनी भारत में खोलेगी 3500 पेट्रोल पंप

बीपी पीएलसी को भारत में 3,500 पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस मिल गया है। बीपी पीएलसी एक ब्रिटिश एनर्जी कंपनी है। गौरतलब है कि शेल के बाद यह दूसरी कंपनी होगी जो कि भारत के फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस में प्रवेश करने जा रही है। मौजूदा समय में भारत के फ्यूल रिटेलिंग पर सरकारी

पेट्रोलियम कंपनियों का दबदबा है और देश में लगभग 56 हजार पेट्रोल पंप में से करीब 95 फीसदी इन्हीं कंपनियों के हैं। तेल बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और एस्सार ऑइल जैसी कंपनिया भी कतार में है। इस साल अगस्त से अप्रैल के महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल की बिक्री में 14 और 6 फीसदी का इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ के 7 फीसदी से ज्यादा होने की वजह से देश में वाहन और फैक्टरीज की तरफ से फ्यूल की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है।

बीपी ने बताया, "कंपनी भारत में फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा भविष्य देखती है। हम इस मार्केट में शामिल होने और इसके डिवेलपमेंट में योगदान देने में रुचि रखते हैं। हमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की मार्केटिंग के लिए मंजूरी मिल गई है और हमने पेट्रोल और डीजल की मार्केटिंग की अनुमति के लिए आवेदन भी दे दिया है।"

एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार जरूरी

अब एलपीजी सिलेंडर की खरीद पर सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी, जिसके पास आधार कार्ड होगा। सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। हालांकि, सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया है। 30 नवंबर के बाद एलपीजी गैस पर उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी, जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा।

मंत्रालय के मुताबिक जब तक लोगों को आधार कार्ड नहीं मिल पाता है, इस दौरान आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी स्लिप, फोटो लगा हुआ बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर यह सब्सिडी जारी की जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक यह नोटिफिकेशन असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में एक साथ लागू कर दी गई है

चीन ने किया 5जी का परीक्षण शुरू

चीन ने लगभग 100 शहरों में दूरसंचार की पांचवीं पीढ़ी यानी 5जी प्रौद्योगिकी के दूरसंचार उपकरणों का परीक्षण शुरू किया है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मोर्निंग पोस्ट ने बर्नस्टेन रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर इस आशय की खबर प्रकाशित की है। चीन ग्राहकों की संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है और वह सेल्यूलर फोन प्रणालियों में अगली पीढ़ी की दौड़ में आगे रहना चाहता है। चीन में 1.3 अरब फोन उपयोक्ताओं में से 30 प्रतिशत 4जी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूरसंचार की 5जी प्रौद्योगिकी मौजूदा 4जी प्रौद्योगिकी की तुलना में 20 गुना तेज होगी और इसमें डेटा लोस बहुत कम होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी के परीक्षण के साथ अधिक उपयोक्ता व हाइस्पीड डेटा में सक्षम एंटीना प्रणााली का भी परीक्षण किया जा रहा है।

भारतीय ने 90 लाख डॉलर में खरीदा कार नंबर

एक भारतीय कारोबारी ने दुबई में एक अंक के कार रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर के लिए 90 लाख डॉलर अदा किए हैं। बिजनेसमैन बलविंदर साहनी ने दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज से तीन करोड़ 30 लाख दिरहम में यह नंबर खरीदा। डॉलर में यह रकम 90 लाख के करीब बैठती है। बलविंदर यूनिक नंबर खरीदने के शौकीन हैं। अबु सबा के नाम से जाने जाने वाले साहनी आरएसजी इंटरनेशनल के

मालिक है। इस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी का संयुक्त अरब अमीरात, भारत और अमेरिका में कारोबार है। साहनी ने बताया कि वह यूनिक नंबर संग्रह करने के शौकीन हैं। वह डी5 नंबर खरीद कर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब तक उनके पास इस तरह के दस यूनिक नंबर हैं। नौ नंबर उनका पसंदीदा है। पिछले साल उन्होंने 09 नंबर ढाई करोड़ दिरहम में खरीदा था।

भारत में 30 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन इनकम 127 रु. से कम

इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी के मामले में भारत नंबर 1 है। दुनिया का हर तीसरा गरीब भारत में रह रहा है। विश्व बैंक ने दुनियाभर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में भारत में सबसे ज्यादा गरीब थे। 2013 में देश की करीब 30 फीसदी आबादी की रोजाना की इनकम 126.46 रुपए या इससे कम थी। गरीब जनसंख्या के मामले में भारत के बाद नाइजीरिया का नंबर है।

2013 में दुनियाभर में 80 करोड़ लोग रोजाना 126.46 रुपए से भी कम पर गुजारा करते थे। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल अति गरीबी में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार यह भारत, चीन समेत एशिया और पैसिफिक के अन्य क्षेत्रों में हुए विकास का नतीजा है। फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा

अति गरीब लोग सब–सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में रहते हैं। सब–सहारा क्षेत्र में हर दूसरे व्यक्ति में एक गरीब है। जबकि भारत में तीन में से एक गरीब है। भारत में वार्षिक औसत आय 44193 रुपए है। अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घर–घर तक बिजली पहुंचने की वजह से भारत में हाउसहोल्ड इनकम में बढ़ोत्तरी हुई है।

अब गांव–गांव खुलेंगे कॉल सेंटर

रोजी–रोजी की तलाश में घर से दूर जाने को मजबूर लोगों को अब अपना गांव नहीं छोड़ना होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यूनिट्स के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दे दी है।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वैश्विक बीपीओ इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी करीब 38 फीसदी है और इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर व्यापक विस्तार (वृद्धि) की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) ने 9020 सीटों को मंजूरी दे दी है।

बिना ई–अकाउंट के नहीं मिलेगी बीमा पॉलिसी

आप अगर बीमा करवाने की सोच रहे हैं तो अपना ई–अकाउंट खुलवा लें,

क्योंकि अब आप बिना ई–अकाउंट बीमा नहीं करवा पाएंगे। इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेलवपमेंट अथॉरिटी ने 1 अक्टूबर 2016 से बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ई–अकाउंट खोलना जरूरी कर दिया है। ई–अकाउंट एक तरह का बैंक होगा, जिसमें आपकी सभी बीमा पॉलिसी मौजूद होगी और आप जब चाहे तो इसे कभी भी एक्सेस कर सकेंगे।

माइक्रो बीमा को छोड़कर किसी भी तरह की नई बीमा पॉलिसी लेने के लिए ई–इन्श्योरेंस अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। हालांकि पुराने बीमा धारक चाहें तो दस्तावेजों को फिजिकल फॉर्म में रखें या ई–अकाउंट में।

नष्ट होंगे 550 टन पुरानी मैगी के पैकेट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी कि 550 टन पुरानी मैगी की उस लॉट को नष्ट कर दिया जाए, जिसे लेड की अधिकता के चलते बाजार से वापस मंगा लिया गया था। खाद्य नियामक एफएसएसएआई (FSSAI) ने इससे पहले इस तुलना "स्टॉक को नष्ट करना जैसे सबूत को मिटाना" पर आपत्ति जताई थी, जबकि नेस्ले ने दावा किया था कि इतनी भारी मात्रा में नूडल्स को

स्टोर करके रखने से स्वास्थ्य खतरों की संभावना बढ़ सकता है।

कुछ लैब्स में परीक्षण के दौरान मैगी में लेड और एमएसजी (मोनो–सोडियम ग्लुटामेट) तय (निर्धारित) सीमा से अधिक पाया गया था जिस वजह से कंपनी को न सिर्फ बाजार से मैगी को हटाना पड़ा बल्कि उसका उत्पादन भी रोकना पड़ा था।

कम हो सकती है आपकी ईएमआई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने पहले मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे 6.25 प्रतिशत किया है। मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्यों ने नीतिगत ब्याज दर में कटौती के पक्ष में मत दिए। केंद्रीय बैंक कटौती के फैसले के बाद अन्य बैंक अपने ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं जिससे लोगों की EMI कम हो सकती है।

रिजर्व बैंक ने खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2017 तक 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिये जीडीपी वद्धि दर अनुमान को 7.6 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का निर्णय नरम मौद्रिक नीति के रूख के अनुरूप है।

सरकार ने अगस्त में रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति मसौदा समझौते के तहत अगले पांच साल के लिये दो प्रतिशत घट–बढ़ के साथ चार प्रतिशत महंगाई दर का लक्ष्य रखा। उर्जित पटेल ने रिजर्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति पर जोर देने की बातों पर बल दिया। उस वक्त पटेल पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के डिप्टी थे।

गुलामी की निशानी से जल्द होगा छुटकारा

भारत सरकार जल्दी ही ब्रिटिश गुलामी के एक और निशान से मुक्ति पाने वाली है। भारतीय विमानों से जल्दी ही ब्रिटिश गुलामी के प्रतीक VT (Vice-roy Territory) यानी वायसराय टेरीटिरी को खत्म कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने इस बारे में पूरी तैयारी कर ली है और इंटरनेश्नल एवियेशन एजेंसी से जल्दी ही नया कोड जारी करवाकर इस गुलामी के प्रतीक को भुला दिया जाएगा।

गौरतलब है कि भारत में सभी एयरप्लेंस की बॉडी और विंग्स के पास VT से शुरू होने वाला एक पांच अंकों का कोड लिखा होता है, जैसे VT-ACB या VT-LOC। बीते दिनों पार्लियामेंट में भी इस मामले पर चर्चा की गई तो इसका सच सामने आया। जिसे जानकर सभी सांसदों ने इसे जल्द से जल्द बदलने की मांग की। बता दें कि बीते 87 सालों से भारतीय प्लेन पर ये लिखा जा रहा है।

दरअसल प्लेन पर लिखे VT का मतलब है वाइसरॉय टेरिटरी (मतलब–वाइसरॉय का इलाका)। VT उस देश का कोड होता है जिस देश का यह प्लेन है। किसी भी देश के प्लेन को यह कोड ICAO (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) प्रोवाइड करता है। भारत को साल 1929 में VT कोड IOCA से मिला था। दरअसल भारत BA (भारत) या IN (इंडिया) कोड हासिल करना चाहता था लेकिन IOCA ने कहा कि B कोड पहले ही चीन (बीजिंग) को और I (इटली) को दिया जा चुका है। इससे पहले चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और फिजी जैसे देश अपने देश का कोड बदल चुके हैं।

केंद्र सरकार लगायेगी मंहगाई पर अंकुश

महंगाई पर अंकुश लगाने के इरादे से केंद्र सरकार ने माप पद्वति नियमों (मेट्रोलॉजी रूल्स) में बदलाव किया है। इससे असाधारण परिस्थितियों में वह दाल और चीनी जैसे आवश्यक जिंसों का खुदरा दाम तय कर सकेगी। मौजूदा व्यवस्था में खुदरा कीमतें बाजार ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

यह नियम उन आवश्यक जिंसों पर लागू होगा, जिन्हें खुला तथा पैकेटबंद दोनों में खुदरा बाजारों में बेचा जाता है। यह सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में होगा, जब खुदरा कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी दिखाई देगी। इस प्रावधान से सरकार को उपभोक्ताओं के हितों में अग्रसारी कदम उठाने में मदद मिलेगी।

मई–जून में दाल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई थी। इस दौरान दाल की कीमत 200 के पार पहुंच गई थी। सरकार के पास कीमतों में अचानक हुई वृद्धि पर रोक के लिए अधिक गुंजाइश नहीं थी। इसलिए नियम में बदलाव किए गए हैं। ❑❑

संगोष्ठी

राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट एवं चुनौतियाँ

सितंबर 26, 2016, उदयपुर (राजस्थान)

26 सितंबर 2016 – स्वदेशी जागरण मंच उदयपुर के तत्वावधान में वाणिज्य महाविद्यालय सभागार में "**राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट एवं चुनौतियाँ**" विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एन.के. सिंह ने कहा कि भारतीय सेना बिना किसी राजनैतिक हस्तक्षेप के निष्पक्ष रूप से भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करती है। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व में हुए भारत एवं अन्य देशों के युद्धों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे राजनैतिक नेताओं को सेना के बलिदान को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जिससे सेना का मनोबल बना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के निर्माण में जम्मू–कश्मीर के संबंध में धारा 370 तथा उत्तर पूर्व के संबंध में धारा 370–ए कमजोर कड़िया है। इन पर पुर्नविचार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियाँ तय करने के लिए रक्षा मंत्रालय में तीनों सैनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

गोष्ठी के मुख्यवक्ता के रूप में बोलते हुए प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल हमारी सेना की है बल्कि हमारे देश के हर नागरिक को इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। हमारी सरकारें जन भावना के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के फैसले लेती है। जब तक हम पाकिस्तान को ठीक तरह से सबक नही सिखाऐंगे तब तक उड़ी जैसे हमले होते रहेंगे।

उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमारी सैन्य क्षमता पाकिस्तान से कई गुणा अधिक होते हुए भी हमें हर समय लहुलुहान करता है। उन्होंने कहा कि हमारा दूसरा पड़ौसी चीन है, जिसका हम करोड़ों रूपये का माल खरीद कर उन्हें लाभ पहुचाते है। वही रूपया हमारे खिलाफ व उसकी सेना में लगाता है। इस अवसर पर उन्होंने यह सुझाव दिया कि हमें स्वदेशी जागरण मंच के अंतर्गत एक सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए, जो सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें तथा इस संबंध में सरकार को अपने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करें।

गोष्ठी के विशिष्ठ अतिथि कर्नल राव गुमान सिंह ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि विदेशी ताकतों से हम जीत कर भी हर समय हार रहे हैं। यह क्या बात है कि हम अपनी रणनीति सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। हम देश की स्वतंत्रता से ही अहिंसा के पुजारी रहे हैं। परंतु अहिंसा की बात भी किसी सीमा तक ही ठीक है। अब समय आ गया है कि हमें कठोर कदम उठाना चाहिए तथा शत्रु को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए।

गोष्ठी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के पास न तो पर्याप्त मात्रा में गोला–बारूद है, न ही उनमें हमारी सेना के खिलाफ लड़ने का आत्मबल ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गरीब लोगों को बहला फुसला कर उनके बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, जिनका उपयोग हमारे खिलाफ छद्‌म युद्ध में करते है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा वर्ग को राष्ट्र भक्तिपूर्ण तैयार किया जाना चाहिए। जिससे न केवल हमारी जनता देश की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभायेगा, बल्कि वे सेना का भी मनोबल बढ़ायेगा।

संगोष्ठी में स्वेदेशी जागरण मंच के प्रांत विचार मण्डल प्रमुख श्री जयसिंह शक्तावत, विभाग संयोजक श्री सतीश आचार्य, महानगर सह संयोजक श्री सोहन शर्मा, श्री प्रमोद शर्मा, श्री मनोज बहरवाल तथा श्री अजय गर्ग, श्री चेनसिंह सौलंकी, श्री उमेश श्रीमाली, श्री जतिन श्रीमाली, श्री हेमन्त एवं जिला प्रचार प्रमुख श्री महेश सोनी आदि उपस्थित रहें। ❑❑